[2022] 9 एस. सी. आर 836

विनॉड कटारा

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य

(2022 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 121)

12 सितंबर, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000: एसएस। 3 , 7 ए, 16,20-2000 अधिनियम की प्रयोज्यता-विलंबित चरण में किशोरता की याचिका-किशोरता का निर्धारण-तथ्यों पर, रिट

दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे आवेदक। 302/34 उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में राज्य द्वारा चिकित्सा जांच के अधीन, जिसमें उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्डों को जेलों में बंद कैदियों की उम्र निर्धारित करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया, जिन्होंने कानून के साथ संघर्ष में किशोर होने का दावा किया था-चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित किया कि कथित अपराध करने की तारीख पर, रिट आवेदक की उम्र लगभग 15 वर्ष हो सकती थी इसके बाद, रिट आवेदक ने एक परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जो उसकी उम्र 14 वर्ष बताता है-किशोर होने का दावा करने वाले आवेदक द्वारा दायर तत्काल रिट याचिका-आयोजितः एस को देखते हुए। 7 ए, विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर किशोरता की याचिका किसी भी अदालत में उठाई जा सकती है-यह अभिलेख पर रखा गया दस्तावेजी साक्ष्य है जो कानून के टकराव में किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है-यह केवल उन मामलों में है जहां अभियुक्त द्वारा किशोरता के अपने दावे के समर्थन में अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों को मनगढ़ंत या हेरफेर पाया जाता है, कि न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए जाने की आवश्यकता है-तथ्यों पर, परिवार रजिस्टर को अभियुक्त की उम्र साबित करने के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र के बराबर स्वीकार नहीं किया जा सकता है-दोषी को चिकित्सा परीक्षा के अधीन किया गया था, हालांकि, अभिलेख पर दी गई रिपोर्ट बहुत अधिक विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।

-यदि परिवार रजिस्टर प्रामाणिक और वास्तविक पाया जाता है,

अस्थाईकरण परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी-परिवार रजिस्टर की प्रामाणिकता और वास्तविकता का पता लगाने के लिए पीठासीन अधिकारी, और सत्र न्यायालय को अस्थाईकरण परीक्षण या आयु निर्धारण की किसी अन्य आधुनिक मान्यता प्राप्त विधि का संचालन करने और अपनी रिपोर्ट-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। 94 – किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 आरआर। 3 (1) , 3 (2) और 12 (3) (बी)-भारत का संविधान

-

कलाएँ। 32 39-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011।

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 20 के संदर्भ में

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000, उन सभी मामलों में जहां अभियुक्त 16 वर्ष से अधिक आयु का था, लेकिन घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का था, न्यायालय में लंबित कार्यवाही जारी रहेगी और इस अपवाद के अधीन तार्किक अंत तक ले जाया जाएगा कि किशोर को दोषी पाए जाने पर, न्यायालय उसके खिलाफ सजा का आदेश पारित नहीं करेगा, लेकिन किशोर को 2000 अधिनियम के तहत उचित आदेशों के लिए बोर्ड को भेजा जाएगा। धारा 7 ए के पढ़ने से जो बात बहुत स्पष्ट हो जाती है वह यह है कि जब भी किशोर होने का दावा किया जाता है, तो जांच की जानी चाहिए और ऐसी जांच सबूत प्राप्त करके की जाएगी जो आवश्यक होगा लेकिन हलफनामा नहीं।

ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके। [पारस 25,28] [856-एफ जी; 857-डी-ई]

1.2 किशोर न्याय के नियम 12 का उपखंड (3)

(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि एक आरोपी की किशोरता के बारे में जांच करते समय, किशोर न्याय बोर्ड साक्ष्य प्राप्त करके साक्ष्य मांगेगा। मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र और जिसके अभाव में स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र पहली बार उपस्थित हुआ और जिसके अभाव में निगम या नगर निगम प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। उपखंड (बी) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि केवल उक्त तीन दस्तावेजों के अभाव में, विधिवत गठित व्यक्ति से चिकित्सा जानकारी मांगी जाएगी।

मेडिकल बोर्ड जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा।

इस प्रकार, यह केवल उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में है कि किशोर न्याय बोर्ड चिकित्सा के लिए कह सकता था

सूचना/अस्थिकरण परीक्षण। 2000 का अधिनियम [2022] 9 एस. सी. आर. द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

2015 का अधिनियम। आयु निर्धारित करने की प्रक्रिया अब 2015 के अधिनियम की धारा 94 का हिस्सा है जो पहले नियमों के नियम 12 के तहत प्रदान की गई थी। [पैरा 32,33] [861-सी-एफ]

1.3 2000 के अधिनियम की धारा 7ए (1) और उसके परंतुक में प्रावधान किया गया है कि किशोरावस्था का दावा किसी के समक्ष उठाया जा सकता है। न्यायालय और इसे मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी और इस तरह के दावे का निर्धारण 2000 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा, भले ही किशोर 2000 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा करना बंद कर चुका हो। धारा 7ए की उप-धारा (2) यह आदेश देती है कि यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को

उप के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर

धारा (1), यह किशोर को एक उचित आदेश पारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजेगा, और न्यायालय द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा। [पारस 39,40] [871-ए-सी]

1.4 एक के संबंध में निरोध की अधिकतम अवधि

धारा 15 (1) (छ) में प्रावधान के अनुसार किशोर की आयु तीन वर्ष है। उक्त धारा में यह प्रावधान है कि जहां किशोर न्याय बोर्ड है, जाँच, संतुष्ट करती है कि किशोर ने एक अपराध किया है, तो उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, किशोर न्याय बोर्ड, यदि वह उचित समझता है, तो किशोर को तीन साल की अवधि के लिए एक विशेष गृह में भेजने का निर्देश देने का आदेश दे सकता है। [पैरा 42] [872-बी-सी]

1.5 रिट आवेदक पर लागू 2000 अधिनियम की धारा 7ए को ध्यान में रखते हुए, किशोरता की याचिका किसी भी अदालत में उठाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर। रिट आवेदक के मामले में उसकी विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई थी

इस न्यायालय द्वारा। हालाँकि, यह न्यायालय अभी भी रिट आवेदक द्वारा की गई किशोरता की याचिका पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए बाध्य है।

उचित राहत। तथ्य यह है कि 2000 अधिनियम बाद में किया गया है

2015 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। [पैरा 43] [872 सी-डी]

1.6 यह तय करने में कि कोई आरोपी नाबालिग है या नहीं, एक अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

जबकि विनॉड कटारा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करना

इस दलील का समर्थन करते हुए कि वह एक किशोर है, यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो अदालत को आरोपी को सीमावर्ती मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह पूछताछ

विचार किया गया एक घूमती हुई जांच नहीं है। न्यायालय एक शपथपत्र अर्थात दस्तावेजों से कुछ अधिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है,

आयु के प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र आदि। यह अभिलेख पर रखा गया दस्तावेजी साक्ष्य है जो कानून के टकराव में किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। और, यह केवल उन मामलों में है जहां दस्तावेज़ या प्रमाण पत्र द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए हैं किशोरावस्था के अपने दावे के समर्थन में अभियुक्त को मनगढ़ंत या हेरफेर किया गया पाया जाता है, कि न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए जाने की आवश्यकता है। [पैरा 45] [876-डी-जी]

अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम। माह्या प्रदेश राज्य, आकाशवाणी

2013 एससी 553: [2012] 10 एस. सी. आर. 540-पर निर्भर।

1.7 तत्काल मामले में, आरोपी ने अपनी उम्र साबित करने के लिए कोई मैट्रिक प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वह केवल उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत जारी किया गया परिवार रजिस्टर है। अभियुक्त की आयु साबित करने के लिए दस्तावेज़ को मैट्रिक प्रमाण पत्र के समकक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इस अदालत द्वारा आदेश दिए जाने की जांच के दौरान परिवार रजिस्टर के साक्ष्य मूल्य पर गौर करना होगा। [पैरा 48] [877-डी-ई] 1.8 आदर्श रूप से, यदि जन्म कानून और तिथि के अनुसार पंजीकृत है तो किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

जन्म के वास्तविक अभिलेख के आधार पर विद्यालय के अभिलेखों में जन्म दर्ज किया जाता है। हालाँकि, भारत में, गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, उदासीनता और व्यवस्था की अपर्याप्तता जैसे कारकों के कारण अक्सर किसी व्यक्ति के चरित्र का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता है।

उम्र। इसलिए, उन मामलों में जहां किशोरावस्था की याचिका विलंबित स्तर पर उठाई जाती है, अक्सर अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में चारा निर्धारण के लिए कुछ चिकित्सा परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। किशोरावस्था की याचिका की अनुमति देने वाला नियम काफी देर से उठाए जाने के लिए समकालीन बाल अधिकार न्यायशास्त्र में इसका तर्क है जिसके लिए हितधारकों को बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की आवश्यकता होती है। [पैरा 49] [877 एफ-जी] [2022] 9 एस. सी. आर.

1.9 हड्डी ऑसिफिकेशन परीक्षण एक परीक्षण है जो उम्र निर्धारित करता है।

कुछ हड्डियों की एक्स-रे लेकर "हड्डी के संलयन की डिग्री" पर आधारित। सरल शब्दों में, ऑसिफिकेशन टेस्ट या ऑस्टियोजेनेसिस किसी व्यक्ति में जन्म और पच्चीस वर्ष की आयु के बीच जोड़ों के संलयन के आधार पर हड्डी के निर्माण की प्रक्रिया है। हड्डी की उम्र किसी व्यक्ति के कंकाल और जैविक परिपक्वता का एक संकेतक है जो उम्र के निर्धारण में सहायता करता है। हड्डी की उम्र की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि 18 साल की उम्र तक हाथ और कलाई की रेडियोग्राफी है, जिसके बाद 22 साल की उम्र तक हड्डी की उम्र की गणना के लिए क्लैविकल की मध्य आयु का उपयोग किया जाता है क्योंकि हाथ और कलाई की हड्डी के रेडियोग्राफ की गणना 18 साल की उम्र से आगे नहीं की जा सकती है क्योंकि हड्डी का लंबा होना किशोरावस्था के बाद पूरा हो जाता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑसिफिकेशन परीक्षण व्यक्तिगत आधार पर थोड़ा भिन्न होता है।

विशेषताएँ, इसलिए ऑसिफिकेशन परीक्षण हालांकि प्रासंगिक है लेकिन इसे पूरी तरह से निर्णायक नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 55] [879-बी डी]

1.10 2007 के नियमों के नियम 12 (3) के साथ पठित धारा 94 (2) (iii) के तहत 2015 का अधिनियम इन नियमों के लिए विधायी मंजूरी प्रदान करता है -

आयु के अन्य दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में उपलब्ध अस्थिकरण परीक्षण या अन्य चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण का संचालन

यानी मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, जिसे इस तरह के आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर दिया जाना है। यह परीक्षा बाल कल्याण समिति (सी. डब्ल्यू. सी.) द्वारा आयोजित की जानी है। उल्लिखित प्रावधान 2000 के अधिनियम के तहत एक बच्चे की उम्र निर्धारित करने का आधार है जिसमें कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के अलावा एक बच्चा भी शामिल है जो अपराध का शिकार है। [पैरा 56] [879-डी-एफ]

1.11 अस्थि अस्थीकरण परीक्षण एक सटीक विज्ञान नहीं है जो व्यक्ति की सटीक आयु प्रदान कर सकता है। व्यक्ति ने

हड्डियों और कंकाल संरचनाओं की वृद्धि दर जैसी विशेषताएं इस विधि की सटीकता को प्रभावित कर सकती हैं। [पैरा 58] [880 ए-बी]

1.12 इस मामले में दोषी को मेडिकल बोर्ड में भेजे जाने के बाद उसकी मेडिकल जांच की गई। हालांकि, रिकॉर्ड पर रिपोर्ट बहुत अधिक विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। इसके अलावा, राम विजय सिंह के मामले में निर्णय यह बहुत स्पष्ट करता है कि एक विश्वसनीय वी. आई. एन. ओ. डी. कटारा बनाम के अभाव में।

उत्तर प्रदेश राज्य

और आयु का पता लगाने के लिए विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य

अपीलार्थी, वर्ष 2021 में किया गया अस्थिकरण परीक्षण, जब अपीलार्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक थी, घटना की तारीख को उसे किशोर घोषित करने के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति लगभग 18 वर्ष का होता है, तो अस्थिकरण परीक्षण को कानून के साथ संघर्ष में किसी व्यक्ति की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कहा जा सकता है। हालाँकि, जब व्यक्ति की आयु लगभग 40-55 वर्ष होती है, तो हड्डियों की संरचना आयु निर्धारित करने में सहायक नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, यह बहस का विषय होगा कि अभिलेख पर आने वाली नई अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है और यह अपीलार्थी के लिए किस हद तक सहायक होगी। रिट आवेदक के खिलाफ सभी बाधाओं के बावजूद, यह न्यायालय अभी भी न्याय के व्यापक हित में मामले को देखना चाहेगा। यह. यदि रिट आवेदक दोषी को एक बार फिर सिविल अस्पताल में अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण के अधीन किया जाता है और ऐसा परीक्षण तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक को रेडियोलॉजी विभाग का प्रमुख होना चाहिए। [पारस 63,

64] [882 - डी-एच; 883-ए] 1.13 इसे ध्यान में रखते हुए, सत्र न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट आवेदक के किशोर होने के दावे की जांच करे।

प्रामाणिक और वास्तविक पाए जाने पर इस न्यायालय को अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट पर निर्भर नहीं होना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, संबंधित पीठासीन अधिकारी पर्याप्त ध्यान देगा। इस दस्तावेज़ की ओर और इसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास करें। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित व्यक्तियों के बयान अर्थात संबंधित सरकार से

विभाग को भी दर्ज किया जा सकता है; सत्र न्यायालय

यह सुनिश्चित करें कि रिट आवेदक दोषी की [2022] 9 एस द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाए।

आयु निर्धारण के लिए एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य आधुनिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति को लेना और संबंधित सत्र न्यायालय निर्धारित अवधि में इस न्यायालय को उपरोक्त के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। [पैरा 65] [883-बी-एफ]

अबुज़र हुसैन अलीअस गुलाम हुसैन बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य ने (2012) 10 एस. सी. सी. 489 [2012] 9 एस. सी. आर. में रिपोर्ट किया 244 ; अशोक बनाम. मध्य प्रदेश राज्य; प्रताप सिंह बनाम। झारखंड राज्य (2005) 3 एस. सी. सी. 551: [2005] 1 एससीआर 1019; शाह नवाज बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 13 एससीसी 751: [2011] 9 एस. सी. आर. 859; अर्नीत दास बनाम बिहार राज्य, (2000) 5 एस. सी. सी. 488 [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 69; बिजेंद्र सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2005) 3 एस. सी. सी. 685; धरमबीर बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2010) 5

एस. सी. सी. 344 [2010] 5 एस. सी. आर. 137; कालू बनाम। हरियाणा राज्य, (2012) 8 एससीसी 34: 2012 (7) जे. टी. 417; मनोज बनाम हरियाणा राज्य, (2022) 6 एस. सी. सी. 187 में सूचितः 2022 (6) जे. टी. 547; विष्णु बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 1 एस. सी. सी. 283: [2005] 5 पूरक। एससीआर 474; मदन गोपाल कक्कड़ बनाम।

नवल दुबे (1992) 3 एस. सी. सी. 204: [1992] 2 एस. सी. आर. 921; राम सुरेश सिंह बनाम प्रभात सिंह, (2009) 6 एससीसी 681: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1194; ज्योति प्रकाश राय बनाम। बिहार राज्य (2008) 15 एस. सी. सी. 223: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 796; मुकर्रब बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2017) 2 एस. सी. सी. 210 [2016] 8 एस. सी. आर. 557 में सूचित; राजेंद्र चंद्र बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य, (2002) 2 एससीसी 287: 2002 (1) जे. टी. 265; ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य,

(2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1079; अपने दम पर अदालत

गति वी। विभाग. महिला और बाल विकास,

2012 में एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2774 में रिपोर्ट किया गया; राम विजय

सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 142

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 9 एससीआर 244

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2005] 1 एससीआर 1019

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[2005] 2 एससीआर 1131

संदर्भित किया गया है

पैरा 22 विनॉड कटारा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

[2010] 5 एससीआर 137

संदर्भित किया गया है

पैरा

23

(2012) 8 एस. सी. सी. 34

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

[2012] 10 एससीआर 540

उस पर भरोसा करें

पैरा

45

[2011] 9 एससीआर 859

उस पर भरोसा करें

पैरा

47

[2005] 5 पूरक। एससीआर 474

संदर्भित किया गया है

पैरा

57

[1992] 2 एससीआर 921

संदर्भित किया गया है

पैरा

57

[2016] 8 एससीआर 557

संदर्भित किया गया है

पैरा

59

[2000] 1 पूरक। एससीआर 69

उस पर भरोसा करें

पैरा

60

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका

(आपराधिक) 2022 की सं. 121।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

ऋषि मल्होत्रा, जयदीप पाटिल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अंधेंदुमौली के. आर. प्रसाद, एएजी, विष्णु शंकर जैन,

सुश्री श्रेया श्रीवास्तव, आशीष मदान, सुश्री अनन्या एस., अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है

राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अभिप्रेरित। बहुत पहले 1215 में, अंग्रेजी मैग्ना कार्टा ने प्रदान किया था किः

" किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को नहीं लिया जाएगा या कैद नहीं किया जाएगा. लेकिन. कानून द्वारा।

भूमि से "। 2. आज व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को कहीं अधिक प्राप्त हुआ है

विस्तृत व्याख्या। आज जो धारणा स्वीकार की जाती है, वह यह है कि स्वतंत्रता में ये अधिकार और विशेषाधिकार शामिल हैं, जिन्हें लंबे समय से एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा सुख की व्यवस्थित खोज के लिए आवश्यक माना जाता है, न कि केवल शारीरिक संयम से मुक्ति। यह कहने में कोई झिझक नहीं हो सकती कि किशोरों को वयस्क जेलों में रखना कई पहलुओं पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर है।

3. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट आवेदन है -

हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास से गुजर रहे एक दोषी आरोपी का उदाहरण प्रत्यर्थी राज्य [2022] 9 एस. सी. आर. को उचित निर्देश देने की मांग करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार अपराध करने की तारीख को दोषी की सही उम्र का सत्यापन करेगी क्योंकि यह दोषी का मामला है कि अपराध करने की तारीख यानी 10.09.1982 पर वह लगभग 15 वर्ष की आयु का किशोर था।

4. इस मुकदमे को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है -

इसके अंतर्गतः

(क) रिट आवेदक पर अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। (ख) 5 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आगरा ने 1983 के सत्र विचारण सं. 535 में अपराध सं. 126 आगरा के फतेहपुर सीकरी जिले में पंजीकृत 1982 के आदेश में रिट आवेदक और सह-अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध का दोषी ठहराया गया था।

हत्या की और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई;

(ग) इसमें रिट आवेदक और अन्य दोषियों ने सी. आर. दाखिल करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। 1986 की अपील संख्या 133 में निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया है।

(घ) उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई की गई और 04.03.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करना

अदालती सुनवाई;

(ङ) रिट आवेदक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर, ऊपर उल्लिखित अपनी अपील को खारिज करते हुए, अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए आवेदन दायर करके इस न्यायालय के समक्ष आया।

(सीआरएल.) 2016 का सं. 6048। इस न्यायालय ने दिनांक 16.08.2016 के आदेश के माध्यम से अनुरोध के अनुसार छुट्टी देने से इनकार कर दिया और विशेष आदेश को खारिज कर दिया

याचिका छोड़ें।

5. इस स्तर पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जब तक इस न्यायालय ने दिनांकित 16.08.2016 के आदेश के माध्यम से विशेष अनुमति याचिका को खारिज नहीं कर दिया है,

यहाँ रिट आवेदक ने 10.09.1982 पर कथित अपराध करने की तारीख को उसके किशोर होने का सवाल नहीं उठाया था। 6. ऐसा प्रतीत होता है कि जब रिट आवेदक आजीवन कारावास की सजा से गुजर रहा था, तब उसकी चिकित्सा जांच की गई थी।

वी. आई. एन. ओ. डी. कटारा बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में प्रतिवादी राज्य द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

2012 की रिमीनल रिट जनहित याचिका संख्या 855, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" मान लीजिए, राज्य के पहले के हलफनामों के अनुसार, यह दावा किया गया था कि 72 कैदी थे, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो सकती है और जिन्हें विभिन्न जिलों या जिलों में हिरासत में रखा गया है।

केंद्रीय जेल। उनका ब्रेकअप इस प्रकार थाः

बरेली में 23, लखनऊ में 1, इलाहाबाद में 4, इटावा में 2, आगरा में 18 और लखनऊ में 23 ऐसे कैदी थे।

फतेहगढ़। ऐसा ही एक कैदी राजू, जो फैजाबाद का रहने वाला था, जिसकी उम्र प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 18 वर्ष से कम निर्धारित की गई थी, को लंबे समय तक हिरासत में रखने के बाद विशेष गृह भेजा गया था।

फैजाबाद जेल में समय बिताया।

प्रथम दृष्टया यह सुझाव देने के लिए कुछ सामग्री प्रतीत होती है कि ऐसे कैदी अपराध करने की तारीख को 18 साल से कम उम्र के हो सकते हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000, (इसके बाद अधिनियम) के 2006 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा संशोधन के बाद, धारा 2 (1) के तहत कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर का अर्थ है एक किशोर जिसने अपराध किया है और जिसने ऐसा करने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

अपराध। अधिनियम की धारा 7ए (1) के प्रावधान के तहत, यह उल्लेख किया गया है कि किशोरावस्था का दावा किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है और

इसे मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी और इस तरह के दावे का निर्धारण इस अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (इसके बाद) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा।

नियम)।

इसलिए हम जिला न्यायाधीशों को, जो अपने संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष हैं, सीधे निर्देश देते हैं कि

यह देखने के लिए कि सक्षम वकीलों की नियुक्ति उन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है, (जो निजी वकीलों को नियुक्त करने में असमर्थ हैं) जिनका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूची में किया गया है और जिनकी आयु अपराध करने की तारीख को 18 वर्ष से कम बताई गई है। उक्त कानूनी सहायता वकीलों को कैदियों की उम्र [2022] 9 एस. सी. आर. मिलनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दस्तावेज़ प्राप्त करके और किशोर न्याय के नियम 12 के तहत प्रदान किए गए अन्य उपायों को पूरा करके पता लगाया जाता है

अधिनियम और नियम और 2011 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 8889 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए तर्ज पर भी (न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम। महिला और बाल विकास विभाग और अन्य) अपने दिनांकित 11.5.2012 आदेश में। इन कैदियों की सही उम्र का पता लगाने के लिए अन्य भाई-बहनों की संभावित जन्म तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी ध्यान में रखा जा सकता है। कानूनी सहायता वकील यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या जेल में अन्य कैदी हैं, जिनकी उम्र अपराध करने की तारीख को 18 वर्ष से कम हो सकती है और जिन्हें वयस्कों के लिए नियमित जेलों में गलत तरीके से रखा गया प्रतीत होता है।

और उनके निष्कर्षों के आधार।

इसके बाद मामले को आयु निर्धारित करने के लिए प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है

ऊपर निर्धारित मानदंडों के अनुसार।

अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता को निश्चित रूप से अपने स्वयं के गवाहों से पूछताछ करने और गवाहों से जिरह करने का अवसर भी दिया जाएगा, जिनसे अभियुक्त की ओर से पूछताछ की गई है और उस उद्देश्य के लिए अभियुक्तों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

जेजे बोर्ड के समक्ष कार्यवाही की जाएगी

शिकायतकर्ता/अभियोजन। जैसा कि यह संभव है कि कुछ मामलों में राज्य की सूची में उल्लिखित कैदियों की आयु अपराध की तारीख को वास्तव में 18 वर्ष से कम हो सकती है, लेकिन राज्य की सूची में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार के रूप में आमतौर पर कुछ थे

प्रारंभिक चिकित्सा जांच और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उम्र का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत कदम नहीं उठाए गए थे, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ मामलों में यह असाधारण है।

आयु को कम करने के लिए उपायों का उपयोग किया गया हो सकता है, हम सोचते हैं कि ऊपर वर्णित इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता थी जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयु का पता लगाया जाता है। उक्त अभ्यास दो महीने की अवधि के भीतर किया जाना है और इसकी अगली सूची पर इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।

जिला न्यायाधीश/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे कि अपराध की तारीख को 18 वर्ष से कम उम्र के कैदियों को जेल में नहीं रखा जाए।

किशोर न्याय अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करते हुए वयस्क जेल।

विनॉड कटारा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जहाँ तक इलाहाबाद जिले का संबंध है, हम इलाहाबाद के जिला न्यायाधीश को सिस्टर शीबा जोस, अधिवक्ता और अधिवक्ता को अनुमति देने का निर्देश देते हैं।

श्री रोहन गुप्ता, अधिवक्ता का दौरा करेंगे और उनका साक्षात्कार लेंगे

संबंधित कैदी अपनी उम्र का पता लगाने और अगली तारीख को अदालत में रिपोर्ट जमा करने के उद्देश्य से सूचीकरण।

यह आगे विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था

याचिकाकर्ता ने कहा कि जहां तक कैदी राजू का संबंध है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम निर्धारित की गई थी, वह पहले फैजाबाद जेल में बंद था और बाद में उसे जेल भेज दिया गया था।

स्पेशल होम। चूंकि उन्हें वर्ष 2001 में आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत एक मामले में दोषी ठहराया गया था। प्रतिवादियों को इस न्यायालय को जेल में बिताए गए कुल समय के बारे में सूचित करना चाहिए।

इस कैदी द्वारा और यदि यह 3 वर्ष से अधिक है (जो अधिनियम की धारा 15 को देखते हुए अधिकतम अनुमेय सजा थी) तो उसे वर्तमान में विशेष गृह में हिरासत में रखने का आधार है।

इस प्रकार, ऊपर निर्दिष्ट 24.05.2012 दिनांकित आदेश को आपराधिक (पी. आई. एल.) विविध होने के कारण एक जनहित याचिका में पारित किया गया। डब्ल्यू. पी. सं. 855

2012 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्डों को सुस्त कैदियों की उम्र निर्धारित करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया।

जेलों में जो कानून के साथ संघर्ष में किशोर होने का दावा करते हैं।

7. मेडिकल बोर्ड ने यहां रिट आवेदक को खोपड़ी और उरोस्थि की एक्स-किरणों के अधीन किया। यहां रिट आवेदक की चिकित्सा जांच पर, चिकित्सा बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.12.2021 दी, जिसमें प्रमाणित किया गया कि कथित अपराध की तारीख यानी 10.09.1982 पर, रिट आवेदक की आयु चिकित्सा जांच की तारीख के अनुसार लगभग 15 वर्ष हो सकती थी, दोषी की आयु लगभग 56 वर्ष थी।

उम्र।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय बाद, रिट आवेदक पारिवारिक रजिस्टर दिनांक 02.03.2021 के रूप में एक दस्तावेज़ प्राप्त करने की स्थिति में था।

यू. पी. पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) के तहत जारी किया गया

नियम, 1970। पारिवारिक रजिस्टर प्रमाणपत्र में, यहाँ रिट आवेदक का जन्म वर्ष 1968 दिखाया गया है। यदि 1968 रिट आवेदक का सही जन्म वर्ष है, तो 1982 में उनकी आयु लगभग 14 वर्ष थी। 9. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, रिट आवेदक इस न्यायालय के समक्ष है। वह दावा करता है कि चूंकि वह तारीख [2022] 9 एस. सी. आर. पर एक किशोर था।

समय के प्रासंगिक बिंदु पर प्रचलित। रिट आवेदक की यह प्रार्थना है कि प्रतिवादी राज्य को संबंधित सत्र न्यायालय के माध्यम से किशोरता के संबंध में रिट आवेदक के दावे को सत्यापित करने का निर्देश दिया जाए। या किशोर न्याय बोर्ड।

रिट आवेदक दोषी की ओर से प्रस्तुतियाँः

10. श्री ऋषि मल्होत्रा, रिट आवेदक की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि हालांकि खारिज होने तक

इस न्यायालय द्वारा 2016 में विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 6048 दिनांकित आदेश के अनुसार दोषी ने किशोरता की याचिका नहीं उठाई थी, फिर भी कानून उसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस समय भी ऐसी याचिका दायर करने की अनुमति देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेडिकल बोर्ड के साथ-साथ परिवार रजिस्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में आज की तारीख में रिकॉर्ड पर ठोस सबूत हैं जो यह इंगित करते हैं कि वर्ष 1982 में रिट आवेदक की आयु लगभग 15 वर्ष हो सकती है। विद्वान वकील दृढ़ता से प्रस्तुत करेगा कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ-साथ परिवार रजिस्टर के उद्धरण को त्यागने का कोई अच्छा आधार नहीं है। 11. उपरोक्त प्रस्तुतियों को मजबूत करने के लिए, विद्वान वकील इस मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करना चाहते हैं -

अबुज़र हुसैन अलीअस गुलाम हुसैन बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य ने (2012) 10 एस. सी. सी. 489 में रिपोर्ट किया।

12. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि उसकी रिट याचिका में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बात है।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

13. श्री अर्धेंधुमौली के. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रसाद ने वर्तमान रिट आवेदन का जोरदार विरोध किया है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि परिवार रजिस्टर साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और उसमें की गई प्रविष्टियां उम्र निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं हैं। यह तर्क दिया जाता है कि रिट आवेदक ने विनॉड कटारा बनाम के किसी भी दस्तावेज को रिकॉर्ड में नहीं रखा है।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

शैक्षिक संस्थान। यह भी तर्क दिया जाता है कि कोई अस्थिकरण परीक्षण नहीं किया गया था या इसके लिए कोई आधुनिक मान्यता प्राप्त विधि नहीं अपनाई गई थी

आयु निर्धारण।

14. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अशोक बनाम के मामले में इस टी की एक समन्वित पीठ द्वारा पारित आदेश की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। मध्य प्रदेश राज्य, 2020 की स्पेशल लीव पील (आपराधिक) संख्या 643 दिनांक 29.11.2021। आदेश पारित किया गया

ऊपर निर्दिष्ट समन्वय पीठ इस प्रकार है:

" 29.07.1999 दिनांकित एक निर्णय और आदेश द्वारा, अतिरिक्त

सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिंड, मध्य प्रदेश,

याचिकाकर्ता को अन्य बातों के साथ धारा के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया

302 भारतीय दंड संहिता और उसे अन्य बातों के साथ सजा सुनाई

1997 के सत्र विचारण सं. 260 में आजीवन कारावास। में उक्त निर्णय और आदेश के कारण, याचिकाकर्ता को अशोक, पुत्र बलराम जाटव आयु 16 वर्ष 9 महीने और 19 दिन, निवासी गाँव अंजनी पुरा, जिला भिंड के रूप में वर्णित किया गया है।

याचिकाकर्ता ने आपराधिक अपील संख्या 455 के रूप में एक अपील दायर की

1999 में उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी गई। ने कहा कि

उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील खारिज कर दी गई है

14.11.2017 दिनांकित आदेश, जो विशेष में आक्षेपित है

छुट्टी याचिका (सी. आर. एल) याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2020 का सं. 643। वह घटना जिसके कारण याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया,

26.07.1997 पर रखें।

याचिकाकर्ता का दावा है कि याचिकाकर्ता का जन्म कहाँ हुआ था 05.01.1981 . इसलिए, घटना की तारीख को याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 16 वर्ष और 7 महीने थी। इस अदालत में, याचिकाकर्ता ने पहली बार तर्क दिया है कि वह घटना की तारीख को नाबालिग था। इसलिए उसकी दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार किया जा सकता है। किशोरावस्था का दावा उच्च न्यायालय में नहीं उठाया गया था। विद्वान।

राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता

तर्क दिया कि किशोरता का दावा उठाया गया है

इस विशेष अनुमति याचिका में पहली बार। किशोर न्याय अधिनियम, 1986, जो अपराध करने की तारीख के साथ-साथ सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश की तारीख से भी लागू था, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, [2022] 9 एस. सी. आर. द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2000. 2000 के अधिनियम को 30.12.2000 पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली और 01.04.2001 पर लागू हुआ। 2000 के अधिनियम ने कानून के साथ संघर्ष में किशोर को परिभाषित करते हुए कहा कि उसका अर्थ एक किशोर है, जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था और जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।

इस तरह के अपराध का करना।

1986 के अधिनियम के तहत, किशोरावस्था की आयु 16 वें वर्ष तक थी। 2000 के अधिनियम की धारा 7 ए, जिसे 2006 के अधिनियम 33 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है, 22.08.2006 से निम्नानुसार प्रदान की गई हैः

" 7 ए. किशोरावस्था का दावा करने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया गया। - (1) जब भी किसी न्यायालय या न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है तो उसकी राय होती है कि

एक अभियुक्त व्यक्ति की तारीख को एक किशोर था

अपराध के होने पर, न्यायालय एक जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन एक नहीं)

शपथ पत्र) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और यह निष्कर्ष दर्ज किया जाए कि वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं, जिसमें उसकी आयु लगभग बताई जाएः

बशर्ते कि किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, और ऐसा दावा

इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा नहीं रहा हो। (2) यदि अदालत किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर पाती है, तो वह किशोर को बोर्ड को पास करने के लिए भेजेगी।

उचित आदेश और सजा, यदि कोई हो, एक द्वारा पारित

न्यायालय का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।

इस प्रकार किशोरावस्था का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है।

किसी भी स्तर पर, मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी और यदि न्यायालय आयोग की तारीख पर किसी व्यक्ति को किशोर पाता है

अपराध के संबंध में, यह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजने के लिए है, और न्यायालय द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। भले ही इस मामले में अपराध इससे पहले किया गया हो

2000 के अधिनियम के अधिनियमन, याचिकाकर्ता वी. आई. एन. ओ. डी. कटारा बनाम का हकदार है।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

2000 के अधिनियम की धारा 7 ए के तहत किशोरावस्था का लाभ, यदि

जाँच मे पता चलल जे कथित अपराधक तिथि पर ओकर आयु 18 साल सँ कम छल।

यह सच है जैसा कि राज्य की ओर से पेश विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा उच्च विद्यालय एंडौरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश के अकीकृत शाश के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया गया है।

17.07.2021 पर जारी किए गए हैं। उक्त प्रमाणपत्र में विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं है कि जन्म तिथि 01.01.1982 प्राथमिक विद्यालय स्तर पर याचिकाकर्ता के पहले प्रवेश के समय दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत, एंडौरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र है जो याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को 05.01.1982 के रूप में इंगित करता है न कि 01.01.1982 जैसा कि स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज है।

ऊपर तक।

ग्राम पंचायत, एंडौरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश के अभिलेखों में प्रविष्टि भी समकालीन नहीं लगती है और प्रमाण पत्र में जारी किया गया है

वर्ष 2017।

हालाँकि, जैसा कि श्री एम. पी. पार्थिबन ने बताया, सीखा याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आयु 16 वर्ष, 9 वर्ष दर्ज की है।

महीने और 19 दिन। याचिकाकर्ता तीन साल से अधिक समय से वास्तविक हिरासत में है।

2000 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 2015 के अधिनियम की धारा 21 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" 21. आदेश जो कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है। - कानून के साथ टकराव में किसी भी बच्चे को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत, ऐसे किसी भी अपराध के लिए रिहाई की संभावना के बिना मौत या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी।

यह देखते हुए कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आयु 16 वर्ष और विषम के रूप में दर्ज की है, और वास्तविक हिरासत [2022] 9 एस. सी. आर. में है।

तीन वर्ष से अधिक, जो एक किशोर के लिए अधिकतम है, हम याचिकाकर्ता को ऐसे नियमों और शर्तों पर अंतरिम जमानत देना उचित समझते हैं जो सत्र न्यायालय द्वारा लगाए जा सकते हैं। हम आगे सत्र न्यायालय को याचिकाकर्ता के कानून के अनुसार किशोर होने के दावे की जांच करने और एक महीने के भीतर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।

इस आदेश के संचार की तारीख।

संबंधित सत्र न्यायालय को मांगे गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने का अधिकार होगा।

याचिकाकर्ता पर भरोसा किया जाए, यह देखते हुए कि

दस्तावेज़ समकालीन प्रतीत नहीं होते हैं।

यदि दस्तावेज़ संदिग्ध पाए जाते हैं /

अविश्वसनीय रूप से, यह सत्र न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह याचिकाकर्ता की अस्थिकरण परीक्षण या आयु निर्धारण की किसी अन्य आधुनिक मान्यता प्राप्त विधि से चिकित्सकीय जांच कराए।

15. समन्वय पीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश पर राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने भरोसा किया है कि वह अपने आदेश को मजबूत करेगा।

प्रस्तुत करना कि यदि रिट आवेदक की किशोरता के संबंध में किसी भी मुद्दे पर विचार की आवश्यकता है, तो वही सत्र न्यायालय यानी उस न्यायालय द्वारा होना चाहिए जिसने मूल रूप से कथित अपराध के लिए रिट आवेदक पर मुकदमा चलाया था।

16. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि सत्र न्यायालय को इस पर गौर करने दें परिवार रजिस्टर सहित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विशेष रूप से इसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता।

विश्लेषणः

17. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, हमारे विचार के लिए केवल एक ही सवाल यह है कि क्या हमें सत्र न्यायालय से उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने के लिए कहना चाहिए जिन पर रिट आवेदक द्वारा वर्ष 1982 में कथित अपराध के होने की तारीख को किशोर होने की अपनी याचिका के समर्थन में भरोसा किया जाना चाहिए और दोषी का आगे का परीक्षण भी किया जाना चाहिए?

18. इस रिट याचिका में हमारे विचार के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में है किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में "2000 अधिनियम")।

विनॉड कटारा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

19. उपरोक्त संदर्भ में, हमें पहले निम्नलिखित प्रासंगिक तिथियों पर ध्यान देना चाहिएः

(क) घटना की तारीख 10.09.1982 है। इस प्रकार, घटना की तारीख को किशोर न्याय अधिनियम, 1986 भी लागू नहीं था। बाल अधिनियम, 1960 लागू था। बाल अधिनियम, 1960 अपराधी और उपेक्षित बच्चों की देखभाल के लिए अधिनियमित एक लाभकारी कानून था। उक्त अधिनियम के तहत, एक बच्चे का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति था जो लड़के के मामले में 16 वर्ष की आयु या लड़की के मामले में 18 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर पाया था।
(ख) याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा दिनांक 06.01.1986 के फैसले और आदेश के माध्यम से दोषी ठहराया गया। दोषसिद्धि की तिथि पर भी किशोर न्याय अधिनियम, 1986 लागू नहीं था। किशोर न्याय अधिनियम, 1986 01.12.1986 से प्रभावी हुआ। इस प्रकार, दोषसिद्धि की तारीख को भी, बच्चे

अधिनियम, 1960 ने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया।

(ग) निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर निर्णय लिया गया और उसे निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से खारिज करने का आदेश दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि जिस तारीख को उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई थी, उस दिन 2000 का अधिनियम लागू था।

(घ) अपील के लिए विशेष अनुमति (क्र. सं.) याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय में दायर 2016 की सं. 6048 को आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

दिनांकित 16.08.2016।

20. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, "2015 अधिनियम") लागू हुआ जिसने 2000 के अधिनियम को निरस्त कर दिया। जबकि याचिकाकर्ता की अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में लंबित थी।

न्यायालय, 2000 अधिनियम लागू हुआ जिसने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया। 2000 के अधिनियम ने अन्य बातों के साथ-साथ किशोरता की आयु 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी और 2000 के अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में, 2000 के अधिनियम की धारा 2 (1) के अनुसार सभी लंबित मामलों में किशोरता का निर्धारण किया जाना आवश्यक था।

21. 2000 के अधिनियम की धारा 20 के प्रभाव पर विचार किया गया।

प्रताप सिंह बनाम। झारखंड राज्य, (2005) 3 एस. सी. सी. 551, और इसे निम्नानुसार कहा गया थाः

बड़ा महत्व है। अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में कार्यवाही 2000 के अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित है और जो 2000 के अधिनियम के लागू होने पर लंबित हैं। "कोई भी अदालत" शब्द में साधारण आपराधिक अदालतें भी शामिल होंगी। यदि व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत "किशोर" होता तो आपराधिक अदालतों में कार्यवाही लंबित नहीं होती। वे आपराधिक अदालतों में तभी लंबित होंगे जब लड़का 16 वर्ष की आयु पार कर चुका हो या लड़की 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो। इससे पता चलता है कि धारा 20 उन मामलों को संदर्भित करती है जहां किसी व्यक्ति ने 1986 के अधिनियम के तहत किशोर होना बंद कर दिया था, लेकिन

अभी तक 18 वर्ष की आयु को पार नहीं किया है तो लंबित मामला उस अदालत में ऐसे जारी रहेगा जैसे कि 2000 का अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करेगी और किशोर के संबंध में कोई सजा देने के बजाय, किशोर को बोर्ड के पास भेजेगी।

जो उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा।

22. बिजेंद्र सिंह बनाम। हरियाणा राज्य, (2005) 3 एस. सी. सी. 685, धारा 20 के संबंध में स्थिति निम्नलिखित शब्दों में बताई गई थी:

" 8. 1986 के अधिनियम और 2000 के अधिनियम के बीच बुनियादी अंतरों में से एक पुरुषों और महिलाओं की उम्र से संबंधित है। 1986 के अधिनियम के तहत, एक किशोर का अर्थ है एक पुरुष किशोर जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, और एक महिला किशोर जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। 2000 के अधिनियम में, पुरुष और पुरुष के बीच अंतर

आयु के आधार पर महिला किशोरों का रखरखाव नहीं किया गया है।

पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष है।

9. 1986 के अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति किशोर नहीं था। इस मामले के उस दृष्टिकोण में इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या 16 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 2000 के अधिनियम के दायरे में "किशोर" बन जाता है, जिसका उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जवाब दिया जाना चाहिए। वहाँ से।

10. 1986 के अधिनियम के संदर्भ में, एक व्यक्ति जो किशोर नहीं था, उस पर किसी भी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था। 2000 के अधिनियम की धारा 20 विनॉड कटारा बनाम का ध्यान रखती है।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

ऐसी स्थिति जिसमें कहा गया है कि इसके बावजूद उस न्यायालय में मुकदमा जारी रहेगा जैसे कि वह अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि वह किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, तो उस आशय का निष्कर्ष दोषसिद्धि के निर्णय, यदि कोई हो, में दर्ज किया जाएगा।

लेकिन किशोर के संबंध में कोई सजा देने के बजाय, उसे किशोर न्याय बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड") को भेजा जाएगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा जैसे कि यह जांच पर संतुष्ट हो गया है कि एक किशोर ने अपराध किया है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान में एक कानूनी कल्पना बनाई गई है। एक कानूनी कथा, जैसा कि सर्वविदित है, दी जानी चाहिए।

इसका पूरा प्रभाव है, हालांकि इसकी अपनी सीमाएँ हैं। ... .

11. .....

12. इस प्रकार, कानूनी कल्पना के कारण, एक व्यक्ति, हालांकि एक किशोर नहीं है, को सजा देने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा एक माना जाना चाहिए, जो इस स्थिति का ध्यान रखता है कि व्यक्ति हालांकि 1986 के अधिनियम के संदर्भ में किशोर नहीं है, लेकिन फिर भी

उक्त सीमित उद्देश्य के लिए 2000 अधिनियम के तहत ऐसा माना जाता है।

23. धरमबीर बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2010) 5 एस. सी. सी. 344, दोषसिद्धि के बाद भी किशोरावस्था का उन्मूलन एक मुद्दा था।

टी कहा गया थाः

" 11. स्पष्टीकरण की धारा 20 की भाषा से यह स्पष्ट है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल परीक्षण शामिल होंगे, बल्कि संशोधन या अपील आदि के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल होगी, एक किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में होना चाहिए, भले ही किशोर 2000 के अधिनियम के लागू होने पर या उससे पहले किशोर होना बंद कर दे, और अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और सभी भौतिक समय के लिए लागू था जब -

कथित अपराध किया गया था।

12. 2000 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) में प्रावधान है कि "किशोर

कानून के साथ टकराव में "से एक" किशोर "अभिप्रेत है जिस पर अपराध करने का आरोप है और जिसने ऐसा अपराध करने की तारीख को अठारहवीं वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। धारा 20

न्यायालय को किशोरावस्था पर विचार करने और निर्धारित करने में भी सक्षम बनाता है।

एक व्यक्ति नियमित न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद भी और

अदालत को, दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, अलग रखने का अधिकार देता है

सजा सुनाई गई और मामले को किशोर न्याय [2022] 9 एस. सी. आर. को अग्रेषित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के अनुसार सजा देने के लिए संबंधित बोर्ड

2000 के अधिनियम के प्रावधान।

24. इसी तरह, कालू बनाम में। हरियाणा राज्य, (2012) 8 एस. सी. सी. 34, इस न्यायालय का सारांश इस प्रकार हैः

" 21. धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान करती है।

मामले। इसमें कहा गया है कि किशोर अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उस क्षेत्र में किसी भी अदालत में किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाही उस अदालत में जारी रखी जाएगी जैसे कि किशोर अधिनियम पारित नहीं किया गया था और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करेगी और किशोर के संबंध में कोई सजा देने के बजाय किशोर को बोर्ड को भेजेगी जो किशोर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगी जैसे कि किशोर अधिनियम के तहत जांच पर संतुष्ट हो गया हो कि किशोर ने अपराध किया है। धारा 20 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल परीक्षण शामिल होंगे, बल्कि संशोधन या अपील के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल होगी, किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में होगा, भले ही किशोर अधिनियम लागू होने पर या उससे पहले किशोर का किशोर होना समाप्त हो गया हो।

बल, और किशोर अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों और सभी सामग्री के लिए लागू था

ऐसा समय जब कथित अपराध किया गया था।

25. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि 2000 अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में, उन सभी मामलों में जहां अभियुक्त 16 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु का था।

घटना की तारीख को उम्र के वर्ष, न्यायालय में लंबित कार्यवाही जारी रहेगी और एक तार्किक अंत के अधीन ले जाया जाएगा

अपवाद यह कि किशोर को दोषी पाए जाने पर, न्यायालय उसके खिलाफ सजा का आदेश पारित नहीं करेगा, लेकिन किशोर को भेजा जाएगा। 2000 अधिनियम के तहत उचित आदेशों के लिए बोर्ड को।

26. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अब हम आगे बढ़ते हैं

2000 के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर आगे विचार करें।

27. 2000 के अधिनियम की धारा 7 ए निम्नानुसार हैः

" 7 ए. किशोरावस्था का दावा करने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

किसी भी न्यायालय विनॉड कटारा बनाम के समक्ष उठाया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(1) जब भी किसी भी अदालत के समक्ष किशोरावस्था का दावा किया जाता है

या एक अदालत की राय है कि एक अभियुक्त व्यक्ति एक था

अपराध करने की तारीख को किशोर, अदालत एक जांच करेगी, ऐसा सबूत लेगी जो आवश्यक हो।

(लेकिन एक शपथ पत्र नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और एक निष्कर्ष दर्ज किया जा सके कि क्या वह व्यक्ति किशोर है या नहीं।

एक बच्चा हो या न हो, उसकी उम्र को लगभग बताते हुए:

बशर्ते कि किशोरावस्था का दावा किसी से भी पहले किया जा सकता है

न्यायालय और इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, इसके बाद भी।

मामले का अंतिम निपटान, और इस तरह के दावे का निर्धारण इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा, भले ही किशोर ऐसा करना बंद कर चुका हो।

या इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले।

(2) यदि अदालत किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर पाती है, तो वह

नाबालिक को उचित पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजें

न्यायालय द्वारा पारित आदेश और सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।

28. धारा 7 ए के पढ़ने से जो बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, वह यह है कि जब भी किशोरावस्था का दावा किया जाता है, तो ऐसी जांच साक्ष्य प्राप्त करके की जाती है जो प्रमाणिक होगा, लेकिन शपथ पत्र नहीं ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके।29. न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (संक्षेप में 2007 नियम) के अध्याय II का भी संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, विशेष रूप से नियम 3 (1) और नियम 3 (2) में उल्लिखित सिद्धांत II, IV, [II, XIII और XIV के लिए। उक्त प्रावधान और

आईपल्स यहाँ नीचे निकाले गए हैं

" 3. प्रशासन में पालन किए जाने वाले मौलिक सिद्धांत

(1) राज्य सरकार, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति या अन्य सक्षम प्राधिकारी या एजेंसियां, जो भी मामला हो, (2) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांत मौलिक होंगे।

अनुप्रयोग, व्याख्या और कार्यान्वयन के लिए

अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमः

II. गरिमा और मूल्य का सिद्धांत

(क) ऐसा व्यवहार जो बच्चे की गरिमा की भावना के अनुरूप हो।

और मूल्य किशोर न्याय का एक मौलिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद I में निहित मौलिक मानवाधिकार को दर्शाता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं और गरिमा और अधिकारों में समान होते हैं। गरिमा के सम्मान में अपमानित नहीं होना, व्यक्तिगत होना शामिल है।

पहचान की सीमाओं और स्थान का सम्मान किया जा रहा है, लेबल और कलंकित नहीं किया जा रहा है, जानकारी और विकल्पों की पेशकश की जा रही है और उनके कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। (ख) किशोर या बच्चे के गरिमा और मूल्य के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी रक्षा की जानी चाहिए।

कानून के साथ पहले संपर्क से बच्चे के साथ व्यवहार करना बच्चे से निपटने के लिए सभी उपायों को लागू करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियां।

III. सुनवाई के अधिकार का सिद्धांत किशोर न्याय की प्रक्रिया के हर चरण में अपने हित को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने के प्रत्येक बच्चे के अधिकार का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। बच्चों की सुनवाई के अधिकार में विकासात्मक रूप से उपयुक्त का निर्माण शामिल होगा।

बच्चे के साथ बातचीत करने के उपकरण और प्रक्रियाएं, अपने जीवन के बारे में निर्णयों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना और चर्चा और बहस के अवसर प्रदान करना।

(क) किशोर न्याय के प्रशासन के संदर्भ में लिए गए सभी निर्णयों में, कानून या बच्चे के साथ संघर्ष में किशोर या किशोर के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत प्राथमिक विचार होगा। (ख) कानून या बच्चे के साथ संघर्ष में किशोर या किशोर के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत का अर्थ होगा उदाहरण के लिए आपराधिक न्याय, प्रतिशोध और दमन के पारंपरिक उद्देश्यों को पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए रास्ता देना चाहिए।

किशोर न्याय के उद्देश्य। (ग) यह सिद्धांत एक किशोर के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कानून या बच्चे के साथ संघर्ष ताकि प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षा, कल्याण और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को जीवित रहने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

XI. निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत

किशोर या बच्चे के गोपनीयता और गोपनीयता के अधिकार को हर तरह से और कार्यवाही के सभी चरणों और देखभाल और सुरक्षा प्रक्रियाओं के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा।

बारहवीं। अंतिम उपाय का सिद्धांत

कानून के साथ टकराव में एक बच्चे या किशोर का संस्थागतकरण उचित जांच के बाद अंतिम उपाय का एक कदम होगा और वह भी न्यूनतम संभव अवधि के लिए।

तेरहवीं। प्रत्यावर्तन और पुनर्स्थापना का सिद्धांत

(ख) कोई भी किशोर या बच्चा, जिसका अपने परिवार से संपर्क टूट गया है, अधिनियम के तहत सुरक्षा के लिए पात्र होगा और जब तक इस तरह के प्रत्यावर्तन और पुनर्स्थापना किशोर या बच्चे के सर्वोत्तम हित के खिलाफ होने की संभावना न हो, तब तक उसे जल्द से जल्द उसके परिवार को वापस भेज दिया जाता है और बहाल कर दिया जाता है।

XIV। नए सिरे से शुरुआत का सिद्धांत

(क) नए सिरे से शुरू करने का सिद्धांत कानून के साथ संघर्ष में बच्चे या किशोर के लिए उसके हिस्से के रिकॉर्ड को मिटाना सुनिश्चित करके नई शुरुआत को बढ़ावा देता है।

(ख) राज्य न्यायिक कार्यवाही का सहारा लिए बिना, दंडात्मक कानून का उल्लंघन करने वाले कथित या मान्यता प्राप्त बच्चों से निपटने के उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

बी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 51 में प्रावधान है कि एक परिवीक्षा अधिकारी या एक सामाजिक कार्यकर्ता की रिपोर्ट

गोपनीय। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 18 में [2022] 9 एस. सी. आर. का प्रावधान है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा के उल्लंघन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

21. "

30. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इसके प्रावधानों के अलावा

जवाब में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि बच्चे के शिक्षण के लिए संवैधानिक गारंटी संविधान के अनुच्छेद 39 में निहित है।

39 यह नीचे लिखा है:

$ 39 . राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत

(ई) श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य और शक्ति,

उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त अभिवृत्ति; (च) कि बच्चों को अवसर और सुविधाएं दी जाएं

स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता की स्थितियों में विकास करें

और गरिमा और यह कि बचपन और युवाओं की रक्षा की जाती है

शोषण के खिलाफ और नैतिक और भौतिक के खिलाफ

त्याग "।

1. आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 2007 के नियमों के नियम 12 (3) (बी) के तहत संपादित की गई है, जो इस प्रकार है:

12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। — (3)

संघर्ष में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में

आयु निर्धारण जांच द्वारा आयोजित की जाएगीन्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा

प्राप्त करके साक्ष्य प्राप्त करना

(क) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि

उपलब्ध; और जिसके अभाव में;

((ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (प्ले स्कूल के अलावा) पहली बार उपस्थित हुई; और जिसके अभाव में;

((iii) किसी निगम या संस्था द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत;

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए वी. आई. एन. ओ. डी. कटारा v.

उनके द्वारा, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बच्चे या किशोर को निचली तरफ उसकी उम्र पर विचार करके लाभ दे सकता है। एक वर्ष के अंतराल के भीतर।

और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, लेने के बाद

ऐसे साक्ष्य पर विचार करना जो उपलब्ध हो, या चिकित्सा राय, जैसा भी मामला हो, उसकी उम्र के संबंध में एक निष्कर्ष और किसी भी मामले में निर्दिष्ट साक्ष्य में से किसी एक को दर्ज करती है।

खंड (ए) (आई), (ii), (iii) या जिसके अभाव में, खंड (बी) ऐसे बच्चे के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

या कानून के साथ संघर्ष में किशोर।

32. उपरोक्त नियम के उपखंड (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी अभियुक्त की किशोरावस्था के बारे में जांच करते समय किशोर न्याय बोर्ड मैट्रिक या स्नातक की परीक्षा प्राप्त करके साक्ष्य मांगेगा।

समतुल्य प्रमाण पत्र और जिसके अभाव में स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पहली बार उपस्थित हुई और जिसके अभाव में किसी निगम या नगर निगम प्राधिकरण या नगर निगम द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

पंचायत। उपखंड (ख) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि केवल उपरोक्त तीन दस्तावेजों के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा जानकारी मांगी जाएगी जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा। इस प्रकार, यह केवल उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में है कि किशोर न्याय बोर्ड चिकित्सा जानकारी/अस्थिकरण परीक्षण के लिए कह सकता था।

33. 2000 का अधिनियम 2015 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आयु निर्धारित करने की प्रक्रिया अब 2015 के अधिनियम की धारा 94 का हिस्सा है।

जो पहले नियमों के उपर्युक्त नियम 12 के तहत प्रदान किया गया था।

परिवार रजिस्टर

34. परिवार रजिस्टर नियम उत्तर प्रदेश राज्य में एक परिवार रजिस्टर तैयार करने का निर्देश देते हैं जिसमें गाँव सभा से संबंधित गाँव में आम तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के परिवारवार नाम और विवरण शामिल हैं। ऐसे नियम यू. पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 के तहत बनाए गए हैं। इस प्रकार के नियम इस प्रकार हैं:

" 1. (1) इन नियमों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज कहा जा सकता है।

(परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) नियम, 1970।

2. परिवार रजिस्टर का प्रपत्र और तैयारी। - फॉर्म ए में एक पारिवारिक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें परिवारवार नाम [2022] 9 एस. सी. आर. होंगे।

और गाँव सभा से संबंधित गाँव में आम तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण। आम तौर पर रजिस्टर में प्रत्येक परिवार को एक पृष्ठ आवंटित किया जाएगा। अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रजिस्टर में एक अलग धारा होगी। रजिस्टर हिंदी में देवनागरी लिपि में तैयार किया जाएगा।

3. रजिस्टर में पंजीकरण के लिए सामान्य शर्तें। प्रत्येक व्यक्ति जो गाँव सभा के क्षेत्र के भीतर सामान्य रूप से निवासी रहा है, परिवार में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

रजिस्टर करें।

स्पष्टीकरण। एक व्यक्ति को एक गाँव में सामान्य रूप से निवासी माना जाएगा यदि वह सामान्य रूप से ऐसे गाँव में रह रहा है या उसके पास वहाँ तैयार आवास है।

4. परिवार रजिस्टर में तिमाही प्रविष्टियाँ। प्रत्येक वर्ष अप्रैल से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में, गाँव सभा का सचिव प्रत्येक परिवार में पिछली तिमाही में जन्म और मृत्यु, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप परिवार रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करेगा। इस तरह के परिवर्तनों को जानकारी के लिए गाँव पंचायत की अगली बैठक से पहले रखा जाएगा। 5. किसी भी मौजूदा प्रविष्टि का सुधार। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर परिवार रजिस्टर में किसी भी मौजूदा प्रविष्टि के सुधार का आदेश दे सकता है और गाँव सभा का सचिव तदनुसार रजिस्टर को ठीक करेगा।

6. रजिस्टर में नामों को शामिल करना। - (1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम परिवार रजिस्टर में शामिल नहीं है, वह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उसमें अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकता है। (2) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), यदि संतुष्ट होता है, तो ऐसी जांच के बाद, जो वह उचित समझता है कि आवेदक रजिस्टर में पंजीकृत होने का हकदार है, निर्देश देगा कि आवेदक का नाम उसमें शामिल किया जाए और गाँव सभा के सचिव तदनुसार नाम शामिल करेंगे।

6 - ए. नियम 5 के तहत दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति या

नियम 6, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर वी. आई. एन. ओ. डी. कटारा v.

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उप-मंडल अधिकारी को प्राथमिकता दें और अपील करें जिसका निर्णय

यह अंतिम होगा।

7. रजिस्टरक अभिरक्षा आ संरक्षण। - (1) गाँव सभा का सचिव परिवार रजिस्टर की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्टर का निरीक्षण करने और उससे किसी भी प्रविष्टि या उद्धरण की सत्यापित प्रति प्राप्त करने का अधिकार इस तरह से और ऐसे शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर होगा, जो भी हो सके। यू . पी. पंचायत
राज नियमों के नियम 73 में निर्दिष्ट।

फॉर्म ए

(नियम 2 देखें)

***

नोट करें। टिप्पणी कॉलम में आदेश की संख्या और तिथि, यदि कोई हो, जिसके द्वारा कोई नाम जोड़ा या हटाया जाता है, होनी चाहिए।

प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ दिया जाए।

35. उपरोक्त नियमों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि प्रत्येक परिवार को एक पृष्ठ आवंटित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप परिवार में कोई भी परिवर्तन जन्म और मृत्यु को ऐसे पृष्ठ पर शामिल करना आवश्यक है। परिवर्तनों को ग्राम पंचायत की अगली बैठक से पहले भी रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसे नियम वैधानिक रूप से निम्नलिखित के अनुसरण में बनाए गए हैं -

एक अधिनियम। रजिस्टर में प्रविष्टियाँ ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में की जानी चाहिए।

36. मनोज बनाम के मामले में यह न्यायालय। हरियाणा राज्य ने बताया कि

(2022) 6 एस. सी. सी. 187 में, ऊपर उल्लिखित परिवार रजिस्टर के संबंध में निम्नानुसार देखा गयाः

" 39. हम कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए व्यापक दृष्टिकोण को मंजूरी देने में असमर्थ हैं कि परिवार का रजिस्टर परिवार के सदस्यों की उम्र निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। यह तथ्य का सवाल है कि परिवार रजिस्टर के साथ कितना साक्ष्य मूल्य जोड़ा जाना है, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है, कानून का सही उच्चारण नहीं होगा। एक कानून के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है। इस प्रकार पंचायत के मामलों के नियमित पाठ्यक्रम में की गई प्रविष्टियाँ प्रासंगिक होंगी लेकिन [2022] 9 एस. सी. आर. की सीमा।

ऐसी निर्भरता विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए होगी और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।

(जोर दिया गया)

37. अबुज़र हुसैन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 30. वास्तव में, इस न्यायालय के निर्णयों से पहले

हरि राम [(2009) 13 एससीसी 211: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 987]

और अकबर शेख [(2009) 7 एससीसी 415: (2009) 3 एससीसी (सीआरआई)

431] , इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ इसके माध्यम से बोल रही है

पवन में हम में से एक (आर. एम. लोढ़ा, जे.) [(2009) 15 एस. सी. सी. 259:

(2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 522] ने संबंधित प्रश्न पर विचार किया था। इस मामले में पहली बार किशोरावस्था के दावे की स्वीकार्यता

धारा 7-ए के संदर्भ में न्यायालय। का विवाद

इस न्यायालय के समक्ष पहली बार दो अपीलार्थियों, ए-1 और ए-2 की ओर से किशोरता का मुद्दा उठाया गया था। द.

इस न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से तर्क यह था कि वे थे

" किशोर "की तारीख को 2000 अधिनियम के अर्थ के भीतर

घटना और संहिता के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था

अवैध है। ए-1 के संबंध में, उनका स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र था जहां तक ए-2 का संबंध है, उस पर भरोसा किया गया था

धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान और स्कूल छोड़ना

अदालत ने कहा कि किशोरावस्था का दावा किया जा सकता है किसी भी चरण में, मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी। अदालत ने

फिर रिपोर्ट के पैरा 41 में प्रश्न तैयार किया गया कि - क्या जाँच की जानी चाहिए या रिपोर्ट माँगी जानी चाहिए

विचारण न्यायालय से जहां इस न्यायालय के समक्ष पहली बार किशोरता का दावा किया जाता है।

31. यह पवन, (2009) 15 एस. सी. सी. 259 में आयोजित किया गया था जहाँ

अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री, प्रथम दृष्टया,

सुझाव दिया कि वह 2000 के अधिनियम में परिभाषित "किशोर" था।

घटना की तारीख को, रिपोर्ट बुलाना आवश्यक था

या आयु के निर्धारण के लिए की जाने वाली जांच

घटना की तिथि। हालांकि, जहां किशोरावस्था का एक अनुरोध पाया जाता है

अनैतिक या सामग्री में विश्वसनीयता की कमी है या वे प्रेरित नहीं करते हैं

न्यायालय का विश्वास और यहां तक कि प्रथम दृष्टया संतुष्टि भी है

तैयार नहीं किया गया है, इस संबंध में आगे अभ्यास नहीं किया जा सकता है आवश्यकता है। यह भी कहा गया था कि यदि किशोरता की याचिका थी

विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया और वी. आई. एन. ओ. डी. कटारा बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया, न्यायिक

अदालत की अंतरात्मा को पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करके संतुष्ट किया जाना चाहिए कि आरोपी की आयु 18 वर्ष की नहीं हुई थी। अपराध करने की तारीख को। पर्याप्त सामग्री के अभाव में, किशोरावस्था में किसी और जांच की आवश्यकता नहीं होगी।

32. पवन मामले [(2009) 15 एस. सी. सी. 259 के पैरा 41 में रेखांकित सामान्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुएः (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 522] इस न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में जहां पहली बार किशोरता का दावा किया जाता है, न्यायालय ने तब घटना की तारीख को किशोरता के दावे के समर्थन में ए-1 और ए-2 द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों पर विचार किया। ए-2 द्वारा भरोसा किए गए दो दस्तावेजों, अर्थात् संहिता की धारा 313 के तहत बयान और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के संबंध में, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 313 के तहत दर्ज बयान शारीरिक उपस्थिति के आधार पर एक अस्थायी अवलोकन था।

जो शायद ही उम्र का निर्धारण करता था और जहां तक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का संबंध था, यह किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता था क्योंकि यह ए-2 को पहले ही दोषी ठहराए जाने के बाद जारी किया गया था और जन्म रजिस्टर से प्रविष्टि जैसे प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जहाँ तक ए-1 द्वारा स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के संबंध में भरोसा किया गया है, इस न्यायालय ने पाया कि वह उसके दोषसिद्धि के बाद प्राप्त किया गया था और जन्म रजिस्टर से कोई प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार, न्यायालय प्रथम दृष्टया ए-1 और ए-2 की ओर से रखी गई सामग्री से प्रभावित या संतुष्ट नहीं था। ए-1 और ए-2 की आयु के बारे में बोर्ड या निचली अदालत से कोई रिपोर्ट मांगने के लिए वे दस्तावेज संतोषजनक और पर्याप्त नहीं पाए गए।

पैरा 39 में न्यायालय कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार देता हैः

" 39.1 . किशोरावस्था का दावा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है।

मामले के अंतिम निपटारे के बाद। इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है। किशोरावस्था के दावे को उठाने में देरी इस तरह के दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। किशोरता का दावा अपील में उठाया जा सकता है, भले ही निचली अदालत के समक्ष दबाव न डाला जाए और इस अदालत के समक्ष पहली बार उठाया जा सकता है, हालांकि निचली अदालत और अपील में दबाव नहीं डाला गया हो।

अदालत।

39.2 . किशोरावस्था के संबंध में दावा करने के बाद

दोषसिद्धि, दावेदार को कुछ ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जो प्रथम दृष्टया अदालत को संतुष्ट कर सके कि किशोरता के दावे की जांच आवश्यक है। प्रारंभिक बोझ उठाना पड़ता है। उस व्यक्ति द्वारा जो किशोर होने का दावा करता है।

39.3 . कौन सी सामग्री प्रथम दृष्टया अदालत को संतुष्ट करेगी

और/या प्रारंभिक बोझ के निर्वहन के लिए पर्याप्त हैं जिन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उनका वजन क्या है साक्ष्य के एक विशिष्ट टुकड़े को दिया जाना चाहिए जो किशोरता की धारणा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन नियम 12 (3) (ए) (आई) से (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज निश्चित रूप से न्यायालय के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे।

नियम के तहत आगे की जांच की आवश्यकता वाले अपराधी की आयु

12. संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान बहुत अस्थायी है और किशोरावस्था के दावे को सही ठहराने या अस्वीकार करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है। स्कूल छोड़ने जैसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और/या स्वीकार्यता

दोषसिद्धि के बाद प्राप्त प्रमाण पत्र या मतदाता सूची आदि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें प्रथम दृष्टया स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए। अकबर शेख [(2009) 7 एस. सी. सी. 415: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 431 और पवन [(2009) 15 एस. सी. सी. 259: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 522] जितेंद्र सिंह [(2010) में इन दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं पाया गया था।

13 एससीसी 523: (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 857] दस्तावेज़। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, अंकपत्र और चिकित्सा रिपोर्ट को अपीलार्थी की उम्र की जांच और सत्यापन का निर्देश देने के लिए पर्याप्त माना गया था। यदि ऐसे दस्तावेज प्रथम दृष्टया न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो न्यायालय इन पर कार्रवाई कर सकता है।

धारा 7-क के प्रयोजनों के लिए दस्तावेज और अपराधी की आयु के निर्धारण के लिए जांच का आदेश।

39.4 . दावेदार या माता-पिता में से किसी का शपथ पत्र या

मामला लंबित रहने के दौरान या मामले के निपटारे के बाद पहली बार अपील या संशोधन में या इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए किशोरता के दावे के समर्थन में भाई या कोई रिश्तेदार ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए जांच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि मामले की परिस्थितियां इतनी स्पष्ट न हों जो न्यायालय के न्यायिक विवेक को संतुष्ट करती हों।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

आयु के निर्धारण की जांच का आदेश देना

अपराधी।

39.5 . वह न्यायालय जहाँ किशोरता की याचिका दायर की जाती है

पहली बार हमेशा के उद्देश्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए

2000 अधिनियम बनाएँ और इस स्थिति में रहें कि 2000 के अधिनियम में निहित लाभकारी और हितकारी प्रावधान विफल न हों।

अति-तकनीकी दृष्टिकोण और उन व्यक्तियों द्वारा जो हैं

2000 के अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के हकदार ऐसे लाभ प्राप्त करते हैं। अदालतों को किसी भी सामान्य से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

यह धारणा कि स्कूलों में माता-पिता/अभिभावक कम बताते हैं भविष्य के लाभों के लिए उनके बच्चों की आयु एक या दो वर्ष है या चिकित्सा परीक्षा द्वारा आयु निर्धारण बहुत अधिक नहीं है।

सटीक। इस मामले पर प्रथम दृष्टया विचार किया जाना चाहिए

संभाव्यता की प्रधानता की कसौटी।

39.6 . किशोरावस्था में विश्वसनीयता की कमी या तुच्छ होने का दावा

किशोरावस्था का दावा या स्पष्ट रूप से बेतुका या स्वाभाविक रूप से असंभव किशोरावस्था के दावे को अदालत द्वारा खारिज किया जाना चाहिए

जब भी सीमा बढ़ाई जाती है "।

38. न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर (उस समय उनके अधिपति के रूप में) ने अपने अलग निर्णय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 43.2 . दूसरा कारक जो हमेशा मौजूद रहना चाहिए

न्यायालय का मन है कि किशोरता का दावा हो सकता है

उन मामलों में भी समय बनाया जाना चाहिए जहां अभियुक्त नहीं करता है

के संदर्भ में उसकी जन्म तिथि दिखाने वाला कोई सबूत है

जन्म और मृत्यु रजिस्टर जैसे कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज नगरपालिका प्राधिकरणों, पंचायतों द्वारा अनुरक्षित या

अस्पताल और न ही किसी स्कूल से कोई प्रमाण पत्र, आरोपी के रूप में

उन्हें कभी किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। यहां तक कि अगर किसी स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो भी इस तरह के प्रवेश के बारे में कोई रिकॉर्ड कभी-कभी अदालत में पेश करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। फिर से, ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें

अभियुक्त जन्म देने की स्थिति में नहीं हो सकता है

निगम, नगरपालिका या से प्रमाण पत्र

पंचायत, क्योंकि हम जानते हैं कि जन्मों का पंजीकरण और

मृत्यु को बनाए नहीं रखा जा सकता है और यदि बनाए रखा जाता है तो नहीं भी रखा जा सकता है

नियमित और सटीक, और कभी-कभी सच्चा।

44. नियमों के नियम 12 (3) में केवल तीन प्रमाण पत्र हैं।

प्रासंगिक। इनकी गणना उप-नियम 3 (ए) (आई) से (आई) में की गई है।

नियम जो निम्नानुसार हैः

" (3) (क) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि

उपलब्ध; और जिसके अभाव में;

((iii) किसी निगम या संस्था द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत;

उपरोक्त प्रमाणपत्रों या उनमें से किसी एक को प्रस्तुत न करना। हालाँकि, किशोरावस्था के दावे के लिए, उप-नियम के लिए घातक नहीं है।

(3) (ख) नियम 12 में अभियुक्त की चिकित्सीय जांच के आधार पर प्रश्न के निर्धारण का प्रावधान किया गया है।

प्रमाणपत्रों की "अनुपस्थिति" में।

" 12. (3) (ख) और केवल उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, किसी से चिकित्सीय राय ली जाएगी। विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड, जो आयु की घोषणा करेगा

किशोर या बच्चा। आयु के सटीक मूल्यांकन के मामले में

समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए तो बच्चे को लाभ दे सकता है या

किशोर के भीतर निचली तरफ उसकी उम्र पर विचार करके

एक साल का मार्जिन ",

उपरोक्त प्रावधान में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "अनुपस्थिति"

अधिनियम या नियमों के तहत परिभाषित नहीं है। शब्द होगा, इसलिए, इसका शाब्दिक शब्दकोश दिया जाए जिसका अर्थ है

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा निम्नानुसार प्रदान किया गया हैः

" अनुपस्थिति। - किसी स्थान या व्यक्ति से दूर होना; दूर रहने का समय; गैर-अस्तित्व या कमी; के कारण असावधानी

दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी भी इसका अर्थ बताती है

" अनुपस्थिति "निम्नानुसारः

" अनुपस्थिति। - (1) अपने सामान्य निवास स्थान से दूर रहने की स्थिति। (2) प्रकट होने में विफलता, या उपलब्ध होने के लिए और

पहुँच योग्य, जब अपेक्षित हो। (3) लुइसियाना कानून। की स्थिति

एक अनुपस्थित व्यक्ति होना। इसे (अर्थ 3 में) अनुपस्थिति भी कहा जाता है। विनॉड कटारा बनाम।

46. यह स्वयंसिद्ध है कि अभिव्यक्ति का उपयोग और जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, उससे दृढ़ता से पता चलता है कि

" नियम 12 (3) (ए) (आई) से (आई) में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति या तो इसलिए हो सकती है क्योंकि वे मौजूद नहीं हैं या समान हैं।

उन पर निर्भर व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिए केवल गैर-प्रस्तुति अभियुक्त को अयोग्य नहीं ठहरा सकती है। अधिनियम का लाभ और न ही यह जानबूझकर गैर-पेश करने के समान हो सकता है, जो एक प्रतिकूल निष्कर्ष को जन्म देता है जब तक कि अदालत इस राय के किसी मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में न हो कि गैर-पेश करना जानबूझकर है या

अदालत को गुमराह करने या सच्चाई को दबाने का इरादा। यह मामलों के इस वर्ग में है कि अदालत को जीवन की वास्तविकताओं में एक निश्चित मात्रा में अंतर्दृष्टि के साथ अपनी शक्तियों और विवेक का प्रयोग करना पड़ सकता है।

47. ऐसी वास्तविकताओं में से एक यह है कि निरक्षरता और अपराध का एक करीबी संबंध है, हालांकि एक दूसरे के सीधे आनुपातिक नहीं हो सकता है। दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह इस देश में भी किशोर अपराध अन्य कारणों की तुलना में गरीबी और बेरोजगारी से उत्पन्न होते हैं। आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की एक बड़ी संख्या, शायद कभी नहीं थी विद्यालय जाने का अवसर। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.), गृह मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि खराब शिक्षा और खराब आर्थिक व्यवस्था आम तौर पर किशोर अपराधियों की मुख्य विशेषताएँ हैं। 2011 के अध्ययन के परिणाम से आगे पता चलता है कि 2011 में गिरफ्तार किए गए 33,887 किशोरों में से 55.8% या तो अनपढ़ (6122) थे या केवल प्राथमिक स्तर (12,803) तक शिक्षित थे। इसके अलावा, गिरफ्तार किए गए कुल किशोरों में से 56.7% सबसे कम आय वाले थे।

श्रेणी। इसी तरह का एक अध्ययन बी. एन. मिश्रा द्वारा अपनी पुस्तक किशोर अपराध और न्याय प्रणाली में आयोजित और प्रकाशित किया गया है, जिसमें लेखक इस प्रकार कहता हैः

" अपराधी की प्रमुख विशेषताओं में से एक गरीब है।

शैक्षिक प्राप्ति। 63 प्रतिशत से अधिक अपराधी अनपढ़ होते हैं। गरीबी उनकी निरक्षरता का मुख्य कारण है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण वे

अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना। यह भी महसूस किया जाता है कि खराब शैक्षिक प्राप्ति बुद्धि की कमी के कारण नहीं है, बल्कि [2022] 9 एस. सी. आर. हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अवसर की कमी के कारण। हालांकि मुफ्त शिक्षा है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किया गया, यहाँ तक कि

तब, अपराधियों की अपेक्षाएँ बहुत कम थीं

और उनके भविष्य के बारे में आकांक्षाएं जो बदले में देय हैं

अपने माता-पिता के बारे में प्रोत्साहन और अज्ञानता की कमी

(जोर दिया गया)

कि वे खेल खेलते हैं। "

ऐसे मामलों में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए,

सवाल करते हैं। क्या एक लाभकारी कानून का लाभ हो सकता है

ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण और पथभ्रष्ट अपराधियों से इनकार किया गया? क्या अभियुक्त के कभी स्कूल नहीं जाने के दुर्भाग्य का पालन किया जा सकता है या उस लाभ से इनकार किया जा सकता है जो कानून इस तरह के जोरदार शब्दों में प्रदान करता है, कि अंतिम न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करने के बाद भी जांच की अनुमति दी जा सके।

और अपने विश्वास को बरकरार रखा? जवाब में होना चाहिए

नकारात्मक। 48. अगर कोई लकड़ी का तरीका अपनाता है, तो कोई कह सकता है

प्रमाणपत्र से कम कुछ भी नहीं, चाहे वह स्कूल से हो या नगरपालिका प्राधिकरण से, अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करेगा। जाँच का निर्देश देने से पहले। लेकिन, फिर जांच का निर्देश देना आरोपी को किशोर घोषित करने के समान नहीं है।

दोनों के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक अलग-अलग है। में

पूर्व में, न्यायालय केवल प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है। उत्तरार्द्ध में, अदालत साक्ष्य पर एक घोषणा करती है, कि वह जांच करती है और केवल तभी स्वीकार करती है जब वह इस तरह की स्वीकृति के योग्य हो।

जाँच को निर्देशित करने के चरण में दृष्टिकोण है

अधिक उदार होने की आवश्यकता है, ऐसा न हो कि न्याय की विफलता से बचा जा सके। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जबकि शपथ पत्र

आम तौर पर एक अच्छे पर्याप्त आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है एक जांच का निर्देश देना, कि उन्हें इस तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है, एक नहीं है

कानून का शासन लेकिन विवेक का नियम। इसलिए न्यायालय ने कहा,

प्रत्येक मामले में प्रासंगिक कारकों को तौलें, दाखिल करने पर जोर दें

यदि आवश्यकता हो तो बेहतर शपथ पत्र, और यहाँ तक कि किसी को भी निर्देश दें।

प्रासंगिक मानी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी जिसमें शामिल हैं

माता-पिता की आयु, भाई-बहनों की आयु और इसी तरह की जानकारी, किसी मामले पर निर्णय लेने से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए

मामले के आधार पर धारा 7-ए के तहत जांच होनी चाहिए या नहीं संचालित करने के लिए। यह अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत कैसे

प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के लिए ऐसी सामग्री का मूल्यांकन करता है कि

अदालत जाँच का निर्देश दे भी सकती है और नहीं भी। (जोर दिया गया)

39. इस प्रकार, 2000 के अधिनियम की धारा 7 ए (1) और उसके परंतुक में प्रावधान किया गया है कि किशोरता का दावा किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है और

इसे मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी और इस तरह के दावे का निर्धारण 2000 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा, भले ही किशोर 2000 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा करना बंद कर चुका हो।

40. धारा 7 ए की उप-धारा (2) यह आदेश देती है कि यदि न्यायालय अपराध करने की तारीख को किसी व्यक्ति को किशोर पाता है

उप-धारा (1) के तहत, यह किशोर को एक उचित आदेश पारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजेगा, और न्यायालय द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।

41. 2000 के अधिनियम की धारा 16 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" 16. आदेश जो किशोर के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है।

(1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, कानून के साथ टकराव में किसी भी किशोर को किसी भी मामले में मौत या कारावास की सजा नहीं दी जाएगी।

अवधि जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, या जुर्माने का भुगतान न करने पर या जुर्माना न देने पर कारावास की सजा हो सकती है।

साज-सज्जा सुरक्षा:

बशर्ते कि जहां एक किशोर जिसने आयु प्राप्त कर ली है

सोलह साल से एक अपराध किया है और बोर्ड है

इस बात से संतुष्ट होकर कि किया गया अपराध इतनी गंभीर प्रकृति का है या कि उसका आचरण और व्यवहार ऐसा रहा है कि उसे ऐसे विशेष गृह में भेजना उसके हित में या किसी विशेष गृह में अन्य किशोर के हित में नहीं होगा और इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अन्य उपायों में से कोई भी उपयुक्त या पर्याप्त नहीं है, बोर्ड कानून के साथ संघर्ष में किशोर को सुरक्षा के ऐसे स्थान पर और इस तरह से रखने का आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे और राज्य के आदेश के लिए मामले की रिपोर्ट करेगा।

सरकार।

(2) उप-धारा (1) के तहत बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस संबंध में ऐसी व्यवस्था कर सकती है।

किशोर की जो वह उचित समझे और ऐसे किशोर को ऐसे स्थान पर और ऐसे स्थान पर सुरक्षात्मक अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकता है।

परिस्थितियाँ जो वह उचित समझती हैं:

बशर्ते कि इस प्रकार से आदेशित निरोध की अवधि किसी भी मामले में निम्नलिखित अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी।

इस अधिनियम की धारा 15 "।

42. किशोर के संबंध में निरोध की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है जैसा कि धारा 15 (1) (छ) में प्रावधान किया गया है। उक्त धारा में यह प्रावधान है कि जहां किशोर न्याय बोर्ड, जांच पर, संतुष्ट है कि

किशोर ने एक अपराध किया है, फिर उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, किशोर

न्याय बोर्ड, यदि वह उचित समझता है, तो किशोर को तीन साल की अवधि के लिए एक विशेष गृह में भेजने का निर्देश देने का आदेश दे सकता है।

43. यहाँ ऊपर निर्दिष्ट 2000 अधिनियम की धारा 7 ए को ध्यान में रखते हुए, जो यहाँ रिट आवेदक पर लागू होती है, किशोरता की याचिका निम्नानुसार हो सकती हैः

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर किसी भी अदालत में उठाया गया। यहाँ रिट आवेदक के मामले में, उसकी विशेष अनुमति याचिका को भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, यह न्यायालय अभी भी रिट आवेदक द्वारा की गई किशोरता की याचिका पर विचार करने और उसे उचित राहत देने के लिए बाध्य है। तथ्य यह है कि 2000 के अधिनियम को बाद में 2015 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

44. 2000 के अधिनियम और नियम की धारा 7 ए के तहत आयु निर्धारित करने में अदालत द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति के संबंध में 12 , इस न्यायालय ने अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम. माह्या प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 553 ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया हैः

" 25. धारा 7-ए, न्यायालय को केवल एक जांच करने के लिए बाध्य करती है, न कि एक जांच या एक परीक्षण, एक जांच दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं, बल्कि जेजे अधिनियम के तहत। आपराधिक अदालतें, किशोर न्याय बोर्ड, समितियां आदि ने देखा है कि वे संहिता के अनुसार मुकदमा, जांच, जांच या जांच कर रहे हैं। कानून अदालत या बोर्ड से केवल "जांच" करने की अपेक्षा करता है और उस जांच को किस तरीके से किया जाना है, यह जेजे नियमों में प्रदान किया गया है। धारा 7-ए और नियम 12 में उपयोग की गई कुछ अभिव्यक्तियाँ काफी महत्वपूर्ण हैं और उनके वास्तविक दायरे और विषय-वस्तु को समझने के लिए उनका संदर्भ आवश्यक है।

प्रावधान। धारा 7-ए ने इन अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है "अदालत एक जांच करेगी", "ऐसा साक्ष्य लें जो आवश्यक हो और" लेकिन एक हलफनामा नहीं "। न्यायालय या बोर्ड एक शपथ पत्र से कुछ अधिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है अर्थात न्यायालय विनॉड कटारा बनाम।

या बोर्ड दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों आदि को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, मौखिक साक्ष्य होने की आवश्यकता नहीं है।

26. नियम 12, जिसे धारा 7-ए के साथ पढ़ा जाना है, में भी कुछ अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है जिन्हें इसमें भी शामिल किया जाना है।

दिमाग। नियम 12 (2) "प्रथम दृष्टया" और "भौतिक उपस्थिति के आधार पर" या "दस्तावेज़" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, यदि

उपलब्ध "। नियम 12 (3) में "मांग करके" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

साक्ष्य प्राप्त करके "। हमारे विचार में ये अभिव्यक्तियाँ इस तथ्य पर फिर से जोर दें कि धारा 7-ए और नियम 12 में जो विचार किया गया है वह केवल एक जांच है। इसके अलावा, उम्र

निर्धारण जांच पूरी की जानी चाहिए और आयु निर्धारित करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए।

आवेदन; जो इस बात का भी संकेत है कि किस तरीके से जांच की जानी है और उसे पूरा किया जाना है। जे. जे. अधिनियम के तहत "जांच" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जे. जे. अधिनियम की धारा 2 (वाई) में कहा गया है कि उपयोग किए गए और जे. जे. अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, लेकिन जे. जे. अधिनियम की संहिता में परिभाषित हैं। दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) के अर्थ उस संहिता में क्रमशः दिए गए होंगे।

27. आइए अब हम "जांच", "जांच", "जांच" और "परीक्षण" शब्दों के अर्थ की जांच करें जैसा कि हम दंड प्रक्रिया संहिता में देखते हैं और उनके कई अर्थों को जिम्मेदार ठहराते हैं।

उन अभिव्यक्तियों के लिए "। सी. आर. पी. सी. की धारा 2 (जी) में परिभाषित "जांच" इस प्रकार हैः

2. (छ) "जांच" से मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा इस संहिता के तहत की गई मुकदमे के अलावा हर जांच अभिप्रेत है।

"पूछताछ" शब्द को संहिता के तहत परिभाषित नहीं किया गया है

दंड प्रक्रिया जो माँगने का कार्य है

जानकारी और कुछ सबूतों पर भी विचार, हो सकता है

दस्तावेजी बनें।

" सी. आर. पी. सी. की धारा 2 (एच) में परिभाषित "जांच" इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः

2. (ज) 'जाँच' में एक पुलिस अधिकारी या किसी भी व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा किए गए साक्ष्य के संग्रह के लिए इस संहिता के तहत सभी कार्यवाहियां शामिल हैं जो इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत हैं; "[2022] 9 एस. सी. आर.

दंड प्रक्रिया संहिता में "विचारण" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (जी) और 2 (एच) में निहित "जांच" या "जांच" शब्दों के आलोक में समझा जाना चाहिए।

28. अभिव्यक्ति "परीक्षण" को आम तौर पर इस रूप में समझा गया है

एक मामले में तथ्य और कानून के मुद्दों की अदालत द्वारा परीक्षा

किए गए कुछ अपराधों से संबंधित निर्णय देने के उद्देश्य से। हम बहुत से मामलों में पाते हैं कि अदालत/किशोर न्याय बोर्ड के दावे का निर्धारण करते समय

किशोरावस्था यह भूल जाती है कि उनसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (जी) के तहत जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि जेजे अधिनियम के तहत जांच करने की अपेक्षा की जाती है।

नियम 12 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करना।

29. संहिता प्रत्येक में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है। प्रत्येक अपराध के लिए जांच, जांच या मुकदमा, चाहे इसके तहत हो

भारतीय दंड संहिता या अन्य दंड कानूनों के तहत। कोड

न केवल जाँच, या जाँच के लिए प्रावधान करता है

अपराधों के लिए मुकदमा लेकिन कुछ विशिष्ट मामलों में पूछताछ भी। विशिष्ट मामलों की जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया संहिता के तहत स्वाभाविक रूप से पूछताछ में लागू नहीं किया जा सकता है

धारा 7 ए के तहत किशोरावस्था के दावे जैसे अन्य मामले 2007 के नियमों के नियम 12 के साथ पढ़ें। दूसरे शब्दों में, इस तरह की जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कानून होना चाहिए।

अधिकारिता प्रदान करने वाले अधिनियम में पाया जाए

पूछताछ की।

30. नतीजतन, जे. जे. के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

जांच करने में अधिनियम वह प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित किया गया है वह क़ानून जो स्वयं 2007 के नियमों का नियम 12 है।

हम संहिता में निर्धारित अन्य प्रक्रियाओं का आयात नहीं कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया या कोई अन्य अधिनियम बनाते समय

संहिता के तहत परीक्षण या जांच की प्रक्रिया का हैंगओवर मानो वे दंड कानूनों के तहत अपराध की कोशिश कर रहे हैं, विनॉड कटारा बनाम को भूल कर।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

तथ्य यह है कि विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है

धारा 7 ए को नियम 12 के साथ पढ़ा जाता है।

31. हम सभी न्यायालयों/न्यायाधीशों को भी याद दिलाते हैं। बोर्ड और अधिनियम के तहत काम करने वाली समितियाँ कि नियम 12 (3) (ए) (आई) से (iii) में उल्लिखित प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करके साक्ष्य प्राप्त करने का कर्तव्य उन पर डाला गया है। ऐसी स्थितियों में अदालतें माता-पिता के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि उनके पास एक प्रकार की संरक्षकता होती है।

नाबालिग जिन्हें उनकी कानूनी अक्षमता से सुरक्षा की आवश्यकता है।

32. " 2007 के नियमों के नियम 12 के तहत अधिनियम की धारा 7 ए के तहत विचार की गई आयु निर्धारण जांच अदालत को सबूत मांगने में सक्षम बनाती है और उस प्रक्रिया में, अदालत यदि उपलब्ध हो तो मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है। केवल किसी भी मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अभाव में, अदालत को प्ले स्कूल के अलावा पहले भाग लेने वाले स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। केवल मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र या पहली बार उपस्थित स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में, अदालत को किसी निगम या संस्थान द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत (शपथ पत्र नहीं बल्कि प्रमाण पत्र या दस्तावेज)। विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय प्राप्त करने का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध न हों। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो दे सकता है

एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ।

33. एक बार जब न्यायालय, उपर्युक्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, एक आदेश पारित करता है; वह आदेश इसका निर्णायक प्रमाण होगा -

कानून के साथ संघर्ष में ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में आयु। उप-धारा (5) या नियम 12 में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय या बोर्ड द्वारा नियम 12 के उप-नियम (3) का उल्लेख करने के बाद प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण की जांच और प्राप्त करने के बाद आगे कोई जांच नहीं की जाएगी। इसके अलावा, जे. जे. अधिनियम की धारा 49 भी एक

इसके निर्धारण पर किशोरावस्था की आयु का अनुमान।

34. जेजे अधिनियम और नियमों के तहत विचार की गई आयु निर्धारण जांच का अन्य [2022] 9 एससीआर के तहत जांच से कोई लेना-देना नहीं है।

सेवा में प्रवेश, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि जैसे कानून। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ प्रविष्टि की गई हो

मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, जन्म तिथि स्कूल से पहले उपस्थित होने का प्रमाण पत्र और यहां तक कि निगम या नगर निगम प्राधिकरण द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र

या पंचायत सही नहीं हो सकती है। लेकिन न्यायालय, जे. जे. बोर्ड या जे. जे. अधिनियम के तहत काम करने वाली समिति से इस तरह की घुमावदार जांच करने और सामान्य कार्य के दौरान रखे गए उन दस्तावेजों की शुद्धता की जांच करने के लिए उन प्रमाणपत्रों के पीछे जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। केवल उन मामलों में जहां उन दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों को मनगढ़ंत या हेरफेर किया गया पाया जाता है, न्यायालय, जे. जे. बोर्ड या समिति को आवश्यकता होती है आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा रिपोर्ट के लिए जाना "।

45. अश्विनी कुमार सक्सेना (ऊपर) में दिए गए कथन से जो बात स्पष्ट होती है, वह यह है कि यह तय करने में कि कोई आरोपी किशोर है या नहीं, एक अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। जबकि

अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सराहना करते हुए कि वह एक किशोर है, यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो न्यायालय को अभियुक्त को सीमावर्ती मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। जिस जांच पर विचार किया जा रहा है, वह भटकती हुई जांच नहीं है। न्यायालय एक शपथ पत्र अर्थात दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों आदि से अधिक कुछ को उम्र के प्रमाण के रूप में साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है। एक या दो साल के दिखने वाले आरोपी के बारे में केवल एक व्यक्ति की राय उसके द्वारा दावा की गई उम्र से अधिक उम्र (वर्तमान मामले में प्रधान शिक्षक की राय के अनुसार) या यह तथ्य कि आरोपी ने अपनी उम्र को मामले में अपने आरोप से अधिक बताया, जबकि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। यह अभिलेख पर रखा गया दस्तावेजी साक्ष्य है जो कानून के टकराव में किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। और, केवल उन मामलों में जहां अभियुक्त द्वारा किशोरावस्था के अपने दावे के समर्थन में अभिलेख पर रखे गए दस्तावेज़ या प्रमाण पत्र मनगढ़ंत या हेरफेर किए गए पाए जाते हैं, न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए जाने की आवश्यकता होती है।

46. 2007 के नियमों के नियम 12 (3) के खंड (ए) में एक पदानुक्रमित क्रम है, जो "इसके अभाव में" भाषा के उपयोग से स्पष्ट है। यह इंगित करता है कि जहाँ एक मैट्रिक या समकक्ष

प्रमाण पत्र उपलब्ध है, (ii) और (iii) में दिए गए दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैट्रिक प्रमाणपत्र, दूसरे शब्दों में, वी. आई. एन. ओ. डी. कटारा वी. दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वरीयता। यह मैट्रिक प्रमाण पत्र के अभाव में है कि पहली बार उपस्थित होने वाले स्कूल के जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पर भरोसा किया जा सकता है। यह.

यदि पहले विद्यालय के मैट्रिक और जन्म प्रमाण पत्र दोनों के अभाव में निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

47. शाह नवाज बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 13 एस. सी. सी. 751, इस न्यायालय ने 2007 के नियमों के नियम 12 के दायरे की जांच करते हुए दोहराया है कि चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय होनी चाहिए

केवल तभी माँगा जाता है जब मैट्रिक प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र या पहली बार उपस्थित स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र या किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत या नगरपालिका द्वारा जारी कोई जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अंकपत्र में दर्ज जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि अभियुक्त व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक वैध साक्ष्य है और साथ ही अपीलार्थी की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी।

48. तत्काल मामले में, आरोपी ने कोई प्रस्तुति नहीं दी है।

उसकी उम्र साबित करने के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र। उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वह केवल उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत जारी किया गया परिवार रजिस्टर है। अभियुक्त की आयु साबित करने के लिए दस्तावेज़ को मैट्रिक प्रमाण पत्र के समकक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, हम जिस जांच का आदेश दे सकते हैं, उसके दौरान परिवार रजिस्टर के साक्ष्य मूल्य पर गौर करना होगा।

देर से किशोरावस्था की याचिका का निर्धारण

49. आदर्श रूप से, यदि जन्म कानून और जन्म तिथि के अनुसार पंजीकृत है तो किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

जन्म के वास्तविक अभिलेख के आधार पर विद्यालय के अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। हालाँकि, भारत में, गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, उदासीनता और व्यवस्था की अपर्याप्तता जैसे कारकों के कारण अक्सर किसी व्यक्ति की उम्र का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता है। इसलिए, उन मामलों में जहां किशोरावस्था की याचिका विलंबित स्तर पर उठाई जाती है, अक्सर अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में चारा निर्धारण के लिए कुछ चिकित्सा परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। किशोरावस्था की याचिका को काफी विलंबित स्तर पर उठाने की अनुमति देने वाले नियम का समकालीन बाल अधिकार न्यायशास्त्र में अपना तर्क है जिसके लिए आवश्यक है -

हितधारक बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करें।

50. अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय में v. विभाग. महिला और बाल विकास विभाग, 2012 में एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2774, याचिकाकर्ताओं [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे कई सौ बच्चे तिहाड़ जेल में बंद थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें जेल में वयस्कों के रूप में उल्लेख किया था।

गिरफ्तारी ज्ञापन।

51. उत्तर प्रदेश राज्य में भी यही कहानी है जो

53. किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस कानून का ध्यान किशोर के सुधार और पुनर्वास पर है ताकि उसे भी मौका मिल सके अन्य बच्चों की तरह आनंद लें। प्रताप सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" ..... उक्त अधिनियम न केवल एक लाभकारी विधान है, बल्कि एक उपचारात्मक भी है। इस अधिनियम का उद्देश्य देखभाल, संरक्षण और

वयस्क अपराधियों की तुलना में किशोर का पुनर्वास। संयुक्त राष्ट्र मानक के नियम 4 का ध्यान रखते हुए

किशोर न्याय प्रशासन के लिए न्यूनतम नियम, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आपराधिक जिम्मेदारी के नैतिक और मनोवैज्ञानिक घटक भी इनमें से एक थे

किशोर को परिभाषित करने वाले कारक। इसलिए पहला उद्देश्य किशोरों के कल्याण को बढ़ावा देना और दूसरा उद्देश्य किशोरों के कल्याण का सिद्धांत लाना है।

आनुपातिकता जिसके तहत और जिसके तहत पीड़ित सहित अपराधी और अपराध दोनों की परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया की आनुपातिकता की रक्षा की जानी चाहिए।

बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है?

54. प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, "उम्र पदार्थ पर मन का मुद्दा है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो यह VINOD KATARA V नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

बात है "। लेकिन जब उम्र की बात आती है तो आपराधिक न्यायशास्त्र में उपरोक्त मामला नहीं है। यहां उम्र मायने रखती है क्योंकि कानून इसका ध्यान रखता है। 55. हड्डी ऑसिफिकेशन टेस्ट (इसके बाद "ऑसिफिकेशन टेस्ट") एक ऐसा परीक्षण है जो "हड्डी के संलयन की डिग्री" के आधार पर उम्र निर्धारित करता है।

कुछ हड्डियों की एक्स-रे लेना। सरल शब्दों में, ऑसिफिकेशन टेस्ट या ऑस्टियोजेनेसिस हड्डी के संयोजन के आधार पर हड्डी के निर्माण की प्रक्रिया है।

एक व्यक्ति में जन्म और पच्चीस वर्ष की आयु के बीच के जोड़। हड्डी की उम्र किसी व्यक्ति के कंकाल और जैविक परिपक्वता का एक संकेतक है जो उम्र के निर्धारण में सहायता करता है। हड्डी की उम्र की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि हड्डी की रेडियोग्राफी है।

18 वर्ष की आयु तक हाथ और कलाई, जिसके बाद 22 वर्ष की आयु तक हड्डी की आयु की गणना के लिए क्लैविकल की मध्य आयु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हाथ और कलाई की हड्डी के रेडियोग्राफ की गणना 18 वर्ष से अधिक नहीं की जा सकती है।

उम्र के रूप में हड्डी का लंबा होना किशोरावस्था के बाद पूरा हो जाता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑसिफिकेशन परीक्षण व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए ऑसिफिकेशन परीक्षण हालांकि प्रासंगिक है, हालांकि इसे पूरी तरह से निर्णायक नहीं कहा जा सकता है। 56. 2007 के नियमों के नियम 12 (3) के साथ पठित धारा 94 (2) (iii) के तहत 2015 अधिनियम के संचालन के लिए विधायी मंजूरी प्रदान करता है -

या जन्म प्रमाण पत्र, जिसे इस तरह के आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर दिया जाना है। यह परीक्षा बाल कल्याण समिति (सी. डब्ल्यू. सी.) द्वारा आयोजित की जानी है। यहाँ उल्लिखित प्रावधान 2000 के अधिनियम के तहत एक बच्चे की उम्र निर्धारित करने का आधार है जिसमें कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के अलावा एक बच्चा भी शामिल है जो अपराध का शिकार है। 57. विष्णु वी. महाराष्ट्र राज्य, (2006) 1 एस. सी. सी. 283, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्थिकरण परीक्षण

प्रकृति में सलाहकार और बाध्यकारी नहीं। हालांकि, इस तरह की राय नेत्र संबंधी या दस्तावेजी साक्ष्य को ओवरराइड नहीं कर सकती है, जो सच और स्वीकार्य साबित हुआ है क्योंकि वे "तथ्यों के बयान" का गठन करते हैं। इस न्यायालय ने विष्णु (उपरोक्त) मामले में मदन गोपाल कक्कड़ बनाम पर भरोसा रखा। नौसेना दुबे, (1992) 3 एस. सी. सी. 204, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि एक चिकित्सा गवाह तथ्य का गवाह नहीं है, इसलिए ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय केवल सलाह है जब तक कि अदालत द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, हालांकि, एक बार स्वीकार किए जाने के बाद, वे अदालत की राय बन जाती हैं।

22] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

त्रुटि सिद्धांत का मार्जिन

58. हड्डी ऑसिफिकेशन परीक्षण एक सटीक विज्ञान नहीं है जो हमें व्यक्ति की सटीक उम्र प्रदान कर सकता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हड्डियों और कंकाल संरचनाओं की विकास दर जैसी व्यक्तिगत विशेषताएं इस विधि की सटीकता को प्रभावित कर सकती हैं। इस अदालत ने

राम सुरेश सिंह बनाम में देखा गया। प्रभात सिंह, (2009) 6 एससीसी 681: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1194 और ज्योति प्रकाश राय बनाम। बिहार राज्य (2008) 15 एस. सी. सी. 223: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 796, कि अस्थिकरण परीक्षण आयु निर्धारण के लिए निर्णायक नहीं है क्योंकि यह सटीक जानकारी नहीं देता है। व्यक्ति की आयु, लेकिन रेडियोलॉजिकल परीक्षा परीक्षण द्वारा निर्धारित आयु सीमा के दोनों ओर दो साल का अंतर छोड़ती है।

चाहे कई जोड़ों का ऑसिफिकेशन परीक्षण किया गया हो। भारत में अदालतों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि तीस साल की उम्र के बाद आयु निर्धारण के लिए अस्थिकरण परीक्षण पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह सामान्य बात है कि आयु के निर्धारण के लिए प्रमाण का मानक संभावना की डिग्री है और उचित संदेह से परे प्रमाण नहीं है। 59. उपरोक्त संदर्भ में, हम मुकर्रब बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य, रिपोर्ट किया गया

(2017) 2 एस. सी. सी. 210 में, जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 27 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" ..... बबलू पासी बनाम। झारखंड राज्य, (2008) 13 एस. सी. सी. 133 और एम. पी. राज्य बनाम। अनूप सिंह, (2015) 7 एस. सी. सी. 773, हम मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की आयु का पता लगाने की बात आती है तो अस्थिकरण परीक्षण को निर्णायक नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा, इसमें अपीलकर्ताओं ने निश्चित रूप से तीस वर्ष की आयु पार कर ली है जो एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

आयु के रूप में खाते को सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। .....

60. अर्नीत दास बनाम। बिहार राज्य, (2000) 5 एस. सी. सी. 488 में यह मत व्यक्त किया गया कि न्यायालय को अभियुक्त की आयु के निर्धारण के लिए साक्ष्य की सराहना करते हुए अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। यदि दो विचार संभव हैं, तो न्यायालय को अभियुक्त को सीमा रेखा मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा राजेंद्र चंद्र बनाम में दोहराया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य, (2002) 2 एस. सी. सी. 287, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि आयु निर्धारण के प्रमाण का मानक संभावना की डिग्री है और उचित संदेह से परे प्रमाण नहीं है।

विनॉड कटारा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

61. ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1079, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि

2015 का अधिनियम व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए मैट्रिक और अन्य प्रमाणपत्रों को प्राथमिकता नहीं देता है, क्योंकि उक्त धारा केवल प्रक्रिया के मामले से संबंधित है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया (कानून असंभव की मांग नहीं करता है) और जब ऑसिफिकेशन परीक्षण विश्वसनीय और विश्वसनीय परिणाम नहीं दे सकता है, तो इस तरह के परीक्षण को व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है और अन्य उपलब्ध प्रमाणपत्रों को ध्यान में रखा जा सकता है।

62. इसी तरह, राम विजय सिंह बनाम के मामले में। उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 142, इस न्यायालय ने अपीलार्थी दोषी की ओर से किए गए तर्क को नकारते हुए कहा कि प्रक्रिया जैसा कि 2007 के नियमों के नियम 12 (3) (बी) में निहित है, जो अब 2015 के अधिनियम की धारा 94 का हिस्सा है और एक बार जब क़ानून ने किशोरता का निर्धारण करने के लिए आधार के रूप में अस्थिकरण परीक्षण प्रदान कर दिया है, तो ऐसे अस्थीकरण परीक्षण के निष्कर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो पैरा 15 और 16 के जवाब में निम्नानुसार हैः

" 15. हम पाते हैं कि नियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया नहीं है

धारा 94 के प्रावधानों से भौतिक रूप से अलग

व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए अधिनियम। वहाँ छोटे हैं

नियम 12 (3) (ए) (आई) और (आई) के रूप में परिवर्तनों को जोड़ा गया है।

भाषा में मामूली बदलाव के साथ। की धारा 94 अधिनियम में लाभ के संबंध में प्रावधान नहीं हैं

बच्चे या किशोर को दी जाने वाली आयु का अंतर जैसा कि था

नियमों के नियम 12 (3) (बी) में प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 94 के अधिनियमन के साथ अस्थिकरण परीक्षण के महत्व में कोई बदलाव नहीं आया है। ऑसिफिकेशन परीक्षण की विश्वसनीयता

यह असुरक्षित बना हुआ है जैसा कि नियमों के नियम 12 के तहत था।

16. अधिनियम की योजना के अनुसार, जब यह स्पष्ट है कि

समिति या बोर्ड, की उपस्थिति के आधार पर

व्यक्ति, कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, बोर्ड या समिति बच्चे की आयु को लगभग बताते हुए टिप्पणियों को दर्ज करेगी।

जैसा कि उम्र की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना हो सकता है। इसलिए, आयु निर्धारित करने का पहला प्रयास मूल्यांकन करना है।

व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति जब पहले लाई जाती है

बोर्ड या समिति। यह केवल संदेह के मामले में है,

साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया बन जाती है

आवश्यक है। उस स्तर पर, जब कोई व्यक्ति लगभग 18 वर्ष [2022] 9 एस. सी. आर. होता है।

आयु के आधार पर, अस्थिकरण परीक्षण को कानून के साथ संघर्ष में किसी व्यक्ति की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कहा जा सकता है। हालाँकि, जब व्यक्ति की आयु लगभग 40-55 वर्ष है,

हड्डियों की संरचना उम्र निर्धारित करने में सहायक नहीं हो सकती है। अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम में यह न्यायालय। कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल और अन्य। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया कि लैटिन सिद्धांत के अनुसार, लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया, कानून असंभव की मांग नहीं करता है। इस प्रकार, जब अस्थिकरण परीक्षण विश्वसनीय और विश्वसनीय नहीं हो सकता है परिणामस्वरूप, इस तरह के परीक्षण को घटना की तारीख को संबंधित व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए,

अपीलार्थी की आयु का पता लगाने के लिए किसी भी विश्वसनीय विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में, वर्ष 2020 में आयोजित ऑसिफिकेशन परीक्षण जब अपीलार्थी की आयु 55 वर्ष थी, नहीं हो सकता है। घटना की तारीख को उसे किशोर घोषित करने के लिए निर्णायक होना चाहिए।

63. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मामले में दोषी को मेडिकल बोर्ड में भेजे जाने के बाद मेडिकल जांच के अधीन किया गया था। हालांकि, रिकॉर्ड पर रिपोर्ट बहुत अधिक विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। इसके अलावा, राम विजय सिंह (उपरोक्त) के मामले में निर्णय यह बहुत स्पष्ट करता है कि एक विश्वसनीय के अभाव में और इसमें अपीलार्थी की आयु का पता लगाने के लिए विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य, वर्ष 2021 में किया गया ऑसिफिकेशन परीक्षण जब अपीलार्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक थी, उसे निर्णायक घोषित नहीं किया जा सकता है।

घटना की तारीख को किशोर। इस न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति लगभग 18 वर्ष का होता है, तो अस्थिकरण परीक्षण को कानून के साथ संघर्ष में किसी व्यक्ति की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कहा जा सकता है। हालाँकि, जब व्यक्ति की आयु लगभग 40-55 वर्ष होती है, तो हड्डियों की संरचना आयु निर्धारित करने में सहायक नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, यह बहस का विषय होगा कि रिकॉर्ड पर आने वाली नई अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट पर किस हद तक और किस हद तक भरोसा किया जा सकता है

यही बात यहाँ अपीलार्थी के लिए सहायक होगी।

64. रिट आवेदक के खिलाफ सभी बाधाओं के बावजूद, हम अभी भी न्याय के व्यापक हित में मामले को देखना चाहेंगे। इसमें होगा यदि रिट आवेदक दोषी को एक बार फिर सिविल अस्पताल, इलाहाबाद या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण के अधीन किया जाता है और ऐसा परीक्षण एन. ओ. डी. कटारा v. द्वारा किया जाएगा।

तीन डॉक्टर, जिनमें से एक का प्रमुख होना चाहिए रेडियोलॉजी का एन. टी.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

हम आगरा के सत्र न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह रिट आवेदक के कानून के संबंध में किशोर होने के दावे की जांच करे।

इस आदेश के संचार की तारीख से महीना;

संबंधित सत्र न्यायालय भी जांच करेगा

रिट आवेदक दोषी द्वारा परिवार रजिस्टर की प्रामाणिकता और वास्तविकता पर भरोसा करने की कोशिश की गई क्योंकि दस्तावेज़ समकालीन नहीं लगता है। यह

दस्तावेज़ अधिक महत्व रखता है, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं हो सकती है

घटना की तारीख को रिट आवेदक की सही उम्र निर्धारित करने में सहायक। यदि अभिलेख पर पारिवारिक रजिस्टर अंततः प्रामाणिक और वास्तविक पाया जाता है, तो हमें ऑसिफिकेशन परीक्षण रिपोर्ट पर नहीं पड़ना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, संबंधित पीठासीन अधिकारी भुगतान करेगा। इस दस्तावेज़ पर पर्याप्त ध्यान दें और इसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास करें। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित व्यक्तियों के बयान अर्थात संबंधित से

सरकारी विभाग को भी दर्ज किया जा सकता है।

सत्र न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि रिट आवेदक दोषी की आयु निर्धारण के लिए एक अस्थिकरण परीक्षण या कोई अन्य आधुनिक मान्यता प्राप्त विधि द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाए।

संबंधित सत्र न्यायालय इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर इस न्यायालय को उपरोक्त;

रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सत्र न्यायालय, आगरा को भेजने का निर्देश दिया गया है।

हम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से सत्र न्यायालय को सुविधा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध करते हैं।

पूछताछ पूरी करें।

चार सप्ताह की अवधि के बाद इस मामले को अधिसूचित करें और साथ ही सत्र न्यायालय, आगरा से टी प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 884

सर्वोच्च न्यायालय की

रिपोर्ट

सत्र न्यायालय, आगरा से प्राप्त रिपोर्ट के

अवलोकन के बाद एक आदेश पारित किया जाएगा।

निधि जैन (शुभांशु दास, एलसीआरए

द्वारा सहायता प्राप्त)